	राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJBIL/2000/1717 **RAJASTHAN GAZETTE** *Extraordinary*
सत्यमेव जयते	*साधिकार प्रकाशित*	*Published by Authority*
	आश्विन 6, शनिवार, शाके 1924– सितम्बर 28, 2002 *Asvina 6, Saturday, Saka 1924-September 28, 2002*	

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मण्डल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप- 2)

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 28, 2002

संख्या प. 2 (6)विधि/2/2002 :- राजस्थान राज्य विधान मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनाँक 25 सितम्बर 2002 को प्राप्त हुई, एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता हैः-

राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002

(2002 का अधिनियम सं. 15)

[(राज्यपाल महादेय की अनुमति दिनाँक 25 सितम्बर 2002 को प्राप्त हुई)]

चिकित्सा की आयुर्वेद, यूनानी, प्राकृतिक चिकित्सा, होम्योपैथी, सिद्ध और योग पद्धति में दक्ष और व्यवस्थित शिक्षा, अध्यापन, प्रशिक्षण, अनुसंधान और विकास को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए एक अध्यापन, अनुसंधान और सम्बद्धक विश्वविद्यालय स्थापित और निगमित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता हैः

अध्याय - 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ :- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 है।

2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में है।

3) यह ऐसी तारीख को और से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे-

2. परिभाषाएं - इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) ''सम्बद्ध'' से धारा 6 या 35 के अधीन सम्बद्ध अभिप्रेत हैं;

(ख) ''अनुमोदित संस्था'' से धारा 6 या 38 के अधीन अनुमोदित संस्था अभिप्रेत है;

(ग) ''प्राधिकारी'' से इस अधिनियम के द्वारा या इसके अधीन यथा विनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय का प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(घ) ''संस्था'' से चिकित्सा की भारतीय पद्धति में शिक्षा, अध्यापन और प्रशिक्षण देने में तथा अनुसंधान और विकास में लगी हुई कोई शिक्षा संस्था अभिप्रेत है;

(ड) ''चिकित्सा की भारतीय पद्धति'' से होम्योपैथी, यूनानी, प्राकृतिक चिकित्सा, सिद्ध और योग पद्धतियों को सम्मिलित करते हुए चिकित्सा की अष्टांग आयुर्वेद पद्धति अभिप्रेत है, चाहे ऐसे आधुनिक अभिवर्धनों द्वारा अनुपूरित हो या न हो जो चिकित्सा की भारतीय पद्धति के मौलिक सिद्धान्तों से संगत हो और जिन्हें विश्वविद्यालय समय-समय पर अवधारित करे;

(च) ''महाविद्यालय'' से ऐसा महाविद्यालय अभिप्रेत है जो ऐसे पाठ्यक्रमों की शिक्षा देता हो जिनका परिणाम कोई डिप्लोमा या उपाधि हो;

(छ) ''संकाय'' से इस अधिनियम के अधीन गठित आयुर्वेद, यूनानी, प्राकृतिक चिकित्सा, होम्योपैथी, सिद्ध और योग का संकाय अभिप्रेत है,

(ज) ''छात्रावास'' से विश्वविद्यालय, किसी सम्बद्ध महाविद्यालय या किसी मान्यताप्राप्त या अनुमोदित संस्था द्वारा विद्यार्थियों के लिए संधारित निवास की ईकाई अभिप्रेत है;

(झ) ''प्राचार्य'' से किसी महाविद्यालय का मुख्य कार्यपालक अधिकारी या उस रूप में कार्य करने के लिए सम्यक् रूप से नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ञ) ''मान्यता प्राप्त संस्था'' से धारा 6 या 37 के अधीन मान्यताप्राप्त कोई संस्था अभिप्रेत है;

(ट) ''परिनियम'',''आर्डिनेन्स'' और ''नियम'' से इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय द्वारा बनाये गये क्रमशः परिनियम, आर्डिनेन्स और नियम अभिप्रेत है;

(ठ) ''अध्यापक'' से विश्वविद्यालय, किसी सम्बद्ध महाविद्यालय या मान्यताप्राप्त संस्था या अनुमोदित संस्था में शिक्षा देने वाले आचार्य, उपाचार्य, प्राध्यापक और ऐसे अन्य व्यक्ति अभिप्रेत हैं जिन्हें परिनियमों द्वारा अध्यापक के रूप में घोषित किया जाये;

(ड) ''विश्वविद्यालय का अध्यापक'' से विश्वविद्यालय द्वारा उसकी ओर से शिक्षा देने के लिए नियुक्ति या मान्य शिक्षक अभिप्रेत है;

(ढ) ''विश्वविद्यालय'' से इस अधिनियम के अधीन गठित राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय अभिप्रेत है;

(ण) ''विश्वविद्यालय केन्द्र'' से ऐसा केन्द्र अभिप्रेत है जहॉ अनुसंधान किया जाता है या स्नातकोत्तर अध्ययन किया जाता है जैसाकि परिनियमों या आर्डिनेन्सों द्वारा उस निमित्त निश्चित किया जाये;

(त) ''विश्वविद्यालय-महाविद्यालय'' से ऐसा कोई महाविद्यालय, जिसे विश्वविद्यालय इस अधिनियम के अधीन स्थापित या संधारित करें या विश्वविद्यालय को स्थानान्तरित और उसके द्वारा संधारित कोई महाविद्यालय अभिप्रेत है: और

(थ) ''विश्वविद्यालय-विभाग'' से ऐसा कोई स्नातकोत्तर या अनुसंधान संस्था या विभाग अभिप्रेत है जो विश्वविद्यालय द्वारा इस रूप में संधारित किया जाये।

अध्याय 2
विश्वविद्यालय

3. विश्वविद्यालय का निगमनः- (1) विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, प्रथम कुलपति और विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड और विद्या-परिषद् के प्रथम सदस्य और वे सभी व्यक्ति जो इसके पश्चात् ऐसे अधिकारी या सदस्य हो जाते हैं, जब तक वे ऐसे पद या सदस्यता

को धारण किये रहते हैं,''राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय'' के नाम से इसके द्वारा एक निगमित निकाय का गठन करते हैं।

(2) विश्वविद्यालय का मुख्यालय जोधपुर में होगा।

(3) विश्वविद्यालय का शाश्वत उत्तराधिकार और एक सामान्य मुद्रा होगी और वह उक्त नाम से वाद ला सकेगा और उस पर वाद लाया जा सकेगा।

(4) विश्वविद्यालय, जंगम और स्थावर दोनों प्रकार की सम्पत्ति अर्जित और धारित करने, ऐसी किसी भी जंगम या स्थावर सम्पत्ति को जो विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिए उसमें निहित हो या उसके द्वारा अर्जित की जाये पट्टाकृत, विक्रीत या अन्यथा अंतरित करने, अपनी आस्तियों की प्रतिभूति पर उधार लेने, और संविदा करने और दान प्राप्त करने और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक अन्य समस्त बातें करने के लिए सक्षम होगाः

परन्तु ऐसा कोई भी उधार लेने की शक्ति का प्रयोग राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त करने के पश्चात् ही किया जायेगा।

4. विश्वविद्यालय का उद्देश्य :- विश्वविद्यालय का उद्देश्य साधारणतः शिक्षण, अनुसंधान, विस्तार शिक्षा और सेवा प्रभावी प्रदर्शन द्वारा चिकित्सा की भारतीय पद्धति और समझ के ज्ञान का प्रसार, सृजन और परिरक्षण करना होगा और विशेष रूप से निम्नलिखित उद्देश्य होंगे

(1) चिकित्सा की भारतीय पद्धति के नये आविष्कारों के अपने उत्तरदायित्व को निभाना और उसके ज्ञान का परिरक्षण और प्रसार करना,

(2) विश्वविद्यालय को स्थानीय और क्षेत्रीय स्वास्थ्य-समस्याओं के साथ निकटतापूर्वक सहयोजित करके व्यष्टियों और समाज के समग्र स्वास्थ्य को विकसित करने के लिए ज्ञान और दक्षता के फायदों का विस्तार करना;

(3) चिकित्सा की भारतीय पद्धति में अनुसंधान और विशेषज्ञता को सुकर बनाना;

(4) तीव्र गति से विकासशील और परिवर्तनशील समाज में ज्ञान के अर्जन का प्रोन्नयन करना और आधुनिक संचार माध्यमों और प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके चिकित्सा की भारतीय पद्धति के समस्त क्षेत्रों में खोज को उन्नत करने के निरन्तर अवसर देना;

(5) शैक्षणिक और सहबद्ध कार्यक्रमों और संसाधन उत्पादक सेवाओं को लागत प्रभावी रीति से हाथ में लेकर वित्तीय आत्मनिर्भरता स्थापित करना; और

(6) देश के विभिन्न भागों और बाहर के समस्त विद्यार्थियों के लिए सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक केन्द्र के रूप में कार्य करना।

5. विश्वविद्यालय की शक्तियां और कर्तव्य :- ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जो इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या अधीन विहित की जायें, विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी और वह निम्नलिखित कर्त्तव्यों का पालन करेगा :-

(1) चिकित्सा की भारतीय पद्धति की ऐसी शाखाओं में शिक्षा, शिक्षण, प्रशिक्षण उपलब्ध कराना जिन्हें वह उचित समझे, उक्त पद्धति के ज्ञान के अनुसंधान अभिवर्धन और प्रसार के लिए उपबंध करना और चिकित्सा की भारतीय पद्धति के ज्ञान को अपनी मौलिक संकल्पना के अनुसार प्रोन्नत और प्रोत्साहित करना;

(2) ऐसे उपबंध करना जो संबद्ध महाविद्यालयों, मान्यताप्राप्त संस्थाओं और अनुमोदित संस्थओं को अध्ययन संबंधी विशेषज्ञता का उत्तरदायित्व लेने के लिए समर्थ बनायें;

(3) शिक्षण और अनुसंधान के लिए सामान्य औषध निर्माण प्रयोगशालाएं औषध परीक्षण प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, संग्रहालय, औषधालय और अन्य उपस्कर स्थापित और संचालित करना;

(4) महाविद्यालयों, सम्बद्ध महाविद्यालयों, विभागों, अनुसंधान या विशेषज्ञीय अध्ययन के केन्द्रों और संस्थानों को स्थापित करना, संभालना, चलाना, प्रबंध करना और पर्यवेक्षण करना;

(5) आचार्य पद, उपाचार्य पद, प्राध्यापक पद और विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित अध्यापकों के कोई भी अन्य पद स्थापित करना;

(6) व्यक्तियों को विश्वविद्यालय के आचार्यो, उपाचार्यों या प्राध्यापकों के रूप में या अन्यथा अध्यापकों के रूप में नियुक्त करना या मान्यता देना;

(7) विभिन्न परीक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम या अनुदेश अधिकथित करना;

(8) महाविद्यालयों, विश्वविद्यालय-विभागों, विश्वविद्यालय केन्द्रों या मान्यताप्राप्त और अनुमोदित संस्थाओं में अध्यापन के लिए मार्गदर्शन करना;

(9) उपाधियां, डिप्लोमा और अन्य विद्या संबंधी विशेष उपाधियां स्थापित करना;

(10) परीक्षाएँ आयोजित करना और ऐसे व्यक्तियों को उपाधियां, डिप्लोमा और अन्य विद्या संबंधी विशेष उपाधियां प्रदान करना जिन्होंने-

(क) विश्वविद्यालय में या किसी सम्बद्ध महाविद्यालय में अध्ययन के अनुमोदित पाठ्यक्रमानुसार, जब तक कि उनसे परिनियमों, आर्डिनेन्सों और नियमों द्वारा विहित रीति से छूट न दे दी गयी हो, अध्ययन किया है और विश्वविद्यालय द्वारा विहित परीक्षाओं को उत्तीर्ण किया है, या

(ख) आर्डिनेन्स या नियमों द्वारा विहित शर्तों के अधीन अनुसंधान किया है;

(11) परिनियमों द्वारा अधिकथित रीति से सम्मानिक उपाधियां या अन्य विद्या संबंधी विशेष उपाधियाँ प्रदान करना;

(12) ऐसे व्यक्तियों को और उनके लिए, जो विश्वविद्यायल के नामांकित विद्यार्थी नहीं है, ऐसे डिप्लोमा प्रदान करना, और ऐसे व्याख्यान, शिक्षण और प्रशिक्षण का उपबंध करना, जैसा कि परिनियमों, आर्डिनेन्सों और नियमों द्वारा अवधारित किया जाये;

(13) शैक्षणिक संस्थाओं को विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार देना और ऐसे विशेषाधिकार वापस लेना;

(14) महाविद्यालयों, मान्यताप्राप्त संस्थाओं और अनुमोदित संस्थाओं का निरीक्षण करना और यह सुनिश्चित करने के लिए अध्युपाय करना कि उनमें शिक्षा, शिक्षण और प्रशिक्षण के समुचित स्तरमान बनाये रखे गये हैं और उनमें पुस्तकालय और प्रयोगशाला के पर्याप्त उपबंध किये गये हैं;

(15) सम्बद्ध महाविद्यालयों, अनुमोदित संस्थाओं और मान्यताप्राप्त संस्थाओं के क्रियाकलापों का नियंत्रण और समन्वय करना और उन्हें वित्तीय सहायता देना;

(16) न्यास और विन्यास धारण करना और प्रबंध और अध्येतावृत्तियां, यात्रा अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियाँ, अध्ययनवृत्तियाँ, पदक और पुरस्कार

संस्थित और प्रदत्त करना;

(17) ऐसी फीस और अन्य प्रभार, जो आर्डिनेन्सों द्वारा विहित किये जायें, नियत करना, मांगना और प्राप्त या वसूल करना;

(18) छात्रावास स्थापित करना, संधारित करना और उनका प्रबंध करना;

(19) विश्वविद्यालय द्वारा संधारित न किये जाने वाले छात्रावासों को मान्यता देना, ऐसे छात्रावासों का निरीक्षण करना और उनसे मान्यता वापस लेना;

(20) विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास, आचरण और अनुशासन का समन्वय, पर्यवेक्षण, विनियमन और नियंत्रण करना और उनके स्वास्थ्य और साधारण कल्याण की अभिवृद्धि करने की व्यवस्था करना;

(21) विश्वविद्यालय केन्द्रों, सम्बद्ध महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय द्वारा मान्य या अनुमोदित संस्थाओं के अध्यापन और अनुसंधान कार्य के संचालन का समन्वय, पर्यवेक्षण, विनियमन और नियंत्रण करना;

(22) निम्नलिखित स्थापित करना और उनका प्रबंध करना-

(क) प्रकाशन विभाग,

(ख) औषध निर्माण विभाग,

(ग) वनस्पति उद्यान,

(घ) अनुसंधान केन्द्र, और

(ड़) सूचना, शिक्षा और संचार ब्यूरो;

(23) निम्नलिखित के लिए उपबन्ध करना -

(क) निवेश-बाह्य शिक्षण और अन्य मान्य क्रियाकलापों;

(ख) शारीरिक शिक्षा, राष्ट्रीय कैडेटकोर और राष्ट्रीय सामाजिक सेवाओं;

(ग) छात्र संघों; और

(घ) खेलों और व्यायाम-विषयक-क्रियाकलापों;

(24) ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजनों के लिए, जो विश्वविद्यालय अवधारित करें, अन्य विश्वविद्यालयों और प्राधिकारियों से सहयोग करना;

(25) अनुसंधान-विदों, छात्रों, आचार्यों, वैद्यों, चिकित्सा व्यवसायियों और चिकित्सा की भारतीय पद्धति में रूचि रखने वाले अन्य व्यक्तियों को व्याख्यान, शिक्षा देने या चिकित्सा की भारतीय पद्धति के अध्ययन में अन्यथा सहायता देने के लिए आमंत्रित करना और उनके वेतन, मानदेय और उन्हें संदेय अन्य खर्चे नियत करना;

(26) चिकित्सा की भारतीय पद्धति विषय पर पाण्डुलिपियों, पुस्तकों, नियत कालिक पत्रिकाओं, पेम्फलेटों और पत्रों का संग्रह करना सम्पादन या प्रकाशन करना और तत्प्रयाजेनार्थ कर्मशाला स्थापित करना और मुद्रणालय खोलना;

(27) चिकित्सा, फार्माकोपिया, पंचकर्म, यूनानी, प्राकृतिक चिकित्सा, होम्योपैथी, सिद्ध, योग, विष विज्ञान और चिकित्सा की भारतीय पद्धति में सर्वेक्षण और अनुसंधान कार्य करना या उसमें सहायता करना;

(28) किसी भी अन्य विश्वविद्यालय या अन्य संगठनों में कार्यरत व्यक्तियों को विनिर्दिष्ट कालावधियों के लिए विश्वविद्यालय के सहायक आचार्यों, सहायक उपाचार्यों, सहायक प्राध्यापकों, अतिथि आचार्यों के रूप में नियुक्त करना या मान्यता देना;

(29) विदेशी अभिकरणों, विश्वविद्यालयों, संस्थाओं आदि से सहयोग कार्यक्रमों के लिए उस निमित्त केन्द्रीय और राज्य सरकार के नियमों और विनियमों के अध्यधीन रहते हुए, निधियां प्राप्त करना;

(30) महाविद्यालयों या संस्थाओं और विश्वविद्यालय के अध्यापकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के कार्य के कालिक निर्धारण की व्यवस्था करना;

(31) उस उद्देश्य से संगत प्रयोजन के लिए अनुदान, अभिदाय और दान प्राप्त करना जिसके लिए विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी है;

(32) ऐसे समस्त कार्य और बातें करना जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों व अग्रसर करने के लिए अपेक्षित हों चाहे वे उपर्युक्त शक्तियों की आनुषंगि हों या न हों, और सामान्यतया चिकित्सा की भारतीय पद्धति के साथ-साथ विद्या की उसकी अन्य शाखाओं को विकसित और प्रोन्नत करना;

6. अधिकारिता और विशेषाधिकारों का दिया जानाः- (1) कोई भी आयुर्वेदिक, यूनानी, प्राकृतिक चिकित्सा, होम्योपैथी, सिद्ध और योग संस्था राजस्थान राज्य के भीतर, राज्य सरकार और विश्वविद्यालय की मंजूरी के बिना विधि द्वारा स्थापित किसी भी अन्य विश्वविद्यालय से किसी भी रूप में सहयोजित नहीं होंगी या कोई भी विशेषाधिकार देने की मांग नहीं करेगी।

(2) राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व राज्य में किसी भी विद्यमान विधि के अधीन स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से संबद्ध, मान्यताप्राप्त या, यथास्थिति, अनुमोदित चिकित्सा की भारतीय पद्धति की कोई संस्था इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पश्चात् इस अधिनियम के अधीन इस विश्वविद्यालय से संबद्ध, मान्यताप्राप्त या, यथास्थिति, अनुमोदित समझे जायेगी और उस विश्वविद्यालय से उसकी संबद्धता, मान्यता या, यथास्थिति, अनुमोदन समाप्त समझे जायेंगे और इस विश्वविद्यालय से उसकी सम्बद्धता, उसके द्वारा मान्यता या, यथास्थिति अनुमोदन इस अधिनियम या इस अधिनियम के अधीन बनाने गये परिनियमों, आर्डिनेन्सों या नियमों के उपबंधों के अध्यधीन चालू रहेगा।

(3) राजस्थान राज्य के बाहर स्थित चिकित्सा की भारतीय पद्धति की किसी भी संस्था को, ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अध्यधीन, जो विश्वविद्यालय और राज्य सरकार अधिरोपित करना उचित समझे, विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार दिये जा सकेंगे।

7. विश्वविद्यालय लिंग, धर्म, वर्ग या पंथ पर विचार किये बिना सभी के लिए खुला है- (1) कोई भी व्यक्ति मात्र लिंग, मूलवंश, पंथ, वर्ग, जन्म स्थान या धार्मिक विश्वास के आधार पर विश्वविद्यालय के किसी पद से या इसके प्राधिकारियों में से किसी की सदस्यता से या किसी उपाधि, डिप्लोमा या अन्य विद्या संबंधी विशेष उपाधि या पाठ्यक्रम में प्रवेश से अपवर्जित नहीं किया जायेगा;

परन्तु विश्वविद्यालय राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के अध्यधीन किसी महाविद्यालय या संस्थान को, अनन्य रूप से महिलाओं के लिए संधारित करेगा, संबद्ध करेगा या मान्यता देगा, या महिलाओं, या ऐसे वर्गों और समुदायों के सदस्यों के लिए जो शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, विश्वविद्यालय द्वारा संधारित किसी संस्था में विद्यार्थियों के रूप में प्रवेश के प्रयोजनों के लिए स्थान आरक्षित कर सकेगा।

(2) विश्वविद्यालय के लिए किसी भी व्यक्ति पर, अध्यापक या विद्यार्थी के रूप में प्रवेश दिये जाने के लिये उसे हकदार बनाने या विश्वविद्यालय में कोई भी पदवी या पद

धारण करने या कोई भी उपाधि, डिप्लोमा या अन्य विद्या संबंधी विशेष उपाधि के लिए अर्ह होने या विश्वविद्यालय के किन्हीं विशेषाधिकारों या इसकी किन्हीं भी उपकृतियों का उपभोग या प्रयोग करने के क्रम में लिंग, मूलवंश, पंथ, वर्ग, जन्म स्थान या धार्मिक विश्वास से संबंधित कोई भी परीक्षण, वह चाहे जो भी हो, आरोपित करना विधिपूर्ण नहीं होगा।

8. कुलाधिपति :-(1) राजस्थान राज्य का राज्यपाल विश्वविद्यालय का प्रधान होगा।

(2) कुलाधिपति अपने पद के आधार पर विश्वविद्यालय का प्रधान होगा।

(3) कुलाधिपति, जब उपस्थित रहे, विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा।

9. कुलाधिपति की शक्तियां :- (1) कुलाधिपति इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड और विद्या परिषद् का गठन करेगा।

(2) कुलाधिपति, जब कभी आवश्यक हो, विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण की बैठक आयोजित करने के लिए कुलपति को निर्देश जारी कर सकेगा और कुलपति, ऐसी बैठकों का कार्यवृत्त कुलाधिपति को उसके परिशीलन के लिए प्रस्तुत करेगा।

(3) कुलाधिपति, विश्वविद्यालय के किन्हीं भी मामलों से संबंधित ऐसी सूचना और अभिलेख मंगवा सकेगा और उस पर ऐसे निर्देश जारी कर सकेगा जो विश्वविद्यालय के हित में वह उचित समझे और विश्वविद्यालय के प्राधिकारी और अधिकारी ऐसे निर्देशों का अनुपालना करेंगे।

(4) कुलाधिपति ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों से, जिन्हें वह नाम निर्दिष्ट करे, विश्वविद्यालय और इसके भवनों, केन्द्रों, पुस्तकालयों, संग्रहालयों, कार्यशालाओं, उपस्करों और परीक्षाओं का और विश्वविद्यालय द्वारा प्रशासित, नियंत्रित या संधारित किसी संस्था, महाविद्यालय या छात्रावास का भी, साथ ही साथ विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षा, अध्यापन और अन्य कार्य का निरीक्षण करवा सकेगा।

(5) कुलाधिपति विश्वविद्यालय के प्रशासन या वित्त से संबंधित किसी भी मामले में जाँच करवा सकेगा।

(6) कुलाधिपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगा जो इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त की जायें या उसमें निहित किये जावें।

10. कुलाधिपति द्वारा निरीक्षण या जांच और निर्देश :- (1) जहाँ धारा 9 की उप-धारा (4) या (5) के अधीन विश्वविद्यालय के कुलाधिपति द्वारा किसी निरीक्षण या जाँच का आदेश दिया गया है, वहां विश्वविद्यालय ऐसे निरीक्षण या जाँच में उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए अपने अधिकारियों में से किसी की प्रतिनियुक्ति कर सकेगा।

(2) कुलाधिपति के निरीक्षण या जांच और सलाह, यदि कोई हो, का परिणाम कुलाधिपति द्वारा कुलपति को संसूचित किया जावेगा।

(3) उप-धारा (2) में निर्दिष्ट परिणाम और सलाह कुलपति द्वारा उसकी टिप्पणियों सहित प्रबंध बोर्ड को ऐसी कार्यवाही के लिए, जैसी बोर्ड करने के लिए प्रस्तावित करें, संसूचित की जावेगी और ऐसी की गयी कार्रवाही कुलपति के माध्यम से कुलाधिपति को संसूचित की जायेगी।

(4) जहां प्रबंध बोर्ड निरीक्षण या जाँच के परिणामस्वरूप या कुलाधिपति द्वारा दी गयी सलाह के अनुसार अपेक्षित कोई कार्रवाई युक्तियुक्त समय के भीतर करने में असफल रहता है या कुलाधिपति के समाधानप्रद रूप में कार्रवाई नहीं करता हैं वहां कुलाधिपति द्वारा कोई निर्देश जारी किया जा सकेगा और प्रबंध बोर्ड ऐसे निर्देश का अनुपालन करेगा।

अध्याय - 3
विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

11. विश्वविद्यालय के प्राधिकारी - विश्वविद्यालय के प्राधिकारी निम्नलिखित होगें, अर्थात्:-

(i) प्रबंध बोर्ड,
(ii) विद्या परिषद्,
(iii) संकाय,
(iv) अध्ययन बोर्ड,
(v) वित्त एवं लेखा समिति,
(vi) खेल और छात्र कल्याण बोर्ड, और
(vii) विश्वविद्यालय के ऐसे अन्य निकाय, जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किया जाये।

12. प्रबन्ध बोर्ड :- (1) विश्वविद्यालय का एक प्रबन्ध बोर्ड होगा जो

विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक निकाय होगा। कुलाधिपति, जैसे ही प्रथम कुलपति नियुक्त कर दिया जाता है, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार ऐसे बोर्ड का गठन करने की कार्यवाही करेगा।

(2) बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होगें, अर्थात् :-

(क) कुलपति, अध्यक्ष;

(ख) संकायों के संकायाध्यक्ष;

(ग) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित एक प्रख्यात आयुर्वेदिक शिक्षाविद्;

(घ) शासन सचिव, आयुर्वेद विभाग;

(ड) शासन सचिव, वित्त विभाग या विशिष्ट सचिव से अनिम्न रैंक का उसका नामनिर्देशिती;

(च) निदेशक, आयुर्वेद, राजस्थान सरकार;

(छ) निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर;

(ज) प्राचार्य, राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर;

(झ) विश्वविद्यालय के विभागों या संबद्ध महाविद्यालयों के ऐसे विभागों के प्रधानों में से कुलपति द्वारा नामनिर्देशित एक विभागाध्यक्ष;

(ञ) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित चिकित्सा की भारतीय पद्धति के दो शिक्षाविद्;

(ट) सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यों में से प्रबन्ध बोर्ड द्वारा सहयोजित एक प्राचार्य;

(ठ) स्नातकोत्तर अध्यापन या अनुसंधान का दस वर्षीय अनुभव रखने वाला और जो विश्वविद्यालय के विभाग या सम्बद्ध महाविद्यालयों के विभाग का प्रधान नही है, विश्वविद्यालय विभाग या सम्बद्ध महाविद्यालयों से कुलपति द्वारा नामनिर्देशित एक अध्यापक।

(ङ) एक सदस्य भारतीय चिकित्सा पद्धति आर्युविज्ञान मंत्रालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण) भारत सरकार द्वारा नामनिर्देशित होगा;

(ढ) अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित राज्य विधान सभा के दो सदस्य;

(ण) विश्वविद्यालय का कुल सचिव प्रबन्ध बोर्ड का सदस्य सचिव होगा किन्तु उसे मतदान का अधिकार नहीं होगा;

(3) प्रबन्ध बोर्ड की बैठक की गणपूर्ति पाँच होगी;

(4) वर्ष में प्रबन्ध बोर्ड की कम से कम दो बैठकें होगी ;

(5) प्रबन्ध बोर्ड के नामनिर्देशित और सहयोजित सदस्य उनके नामनिर्देशन या सहयोजन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगें।

13. प्रबन्ध बोर्ड की शक्तियाँ और कर्त्तव्य :- प्रबन्ध बोर्ड निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग और निम्नलिखित कर्त्तव्यों का पालना करेगा, अर्थात् :-

(क) ऐसे उपबंध करना जो महाविद्यालयों और संस्थाओं को विशिष्ट अध्ययन करवाने के लिए और जहाँ आवश्यक या वांछनीय हों, आयोजित करने के लिए समर्थ बनाये और अध्यापन और अनुसंधान के लिए सामान्य पुस्तकालयों, संग्रहालयों, प्रयोगशालाओं और उपस्करों के लिए उपबंध करना;

(ख) विद्या परिषद् की सिफारिश पर विभागों, महाविद्यालयों, संस्थाओं, छात्रावासों को स्थापित करना और कर्मचारीवृन्द के लिए आवास उपलब्ध करवाना;

(ग) कुलाधिपति के अनुमोदन के अध्यधीन परिनियमों और आर्डिनेन्सों को बनाना, संशोधित करना या निरसित करना;

(घ) विश्वविद्यालय के समस्त प्रशासकीय मामलों का नियंत्रण और पर्यवेक्षण करना;

(ड) विश्वविद्यालय की आस्तियों और सम्पत्तियो का प्रशासन के लिए धारण, नियंत्रण और प्रबंध करना;

(च) विश्वविद्यालय की ओर से संविदाएँ करना, उनमें परिवर्तन करना, उन्हें निष्पादित और रद्द करना;

(छ) विश्वविद्यालय के लिए सामान्य मुद्रा का प्ररूप अवधारित करना और इसकी अभिरक्षा और प्रयोग के लिए उपबंध करना।

(ज) उसके अपने उपान्तरणों सहित, यदि कोई हो, वित्तीय और लेखा समिति से यथा प्राप्त बजट प्राक्कलनों का अनुमोदन करना।

(झ) वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक लेखा और संपरीक्षा रिपोर्ट पर विचार करना और अंगीकृत करना;

(ञ) विश्वविद्यालय की ओर से न्यास, वसीयत, दान और विश्वविद्यालय को किसी भी जंगम या स्थावर संपत्ति का अन्तरण स्वीकार करना;

(ट) विश्वविद्यालय की ओर से किसी जंगम संपत्ति का विक्रय द्वारा या अन्यथा, अन्तरण करना;

(ठ) वित्त और लेखा समिति द्वारा की गयी सिफारिश के अनुसार विश्वविद्यालय की ओर से निधियाँ उधार लेना, उधार देना या उनका विनिधान करना और दान प्राप्त करना;

(ड) विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय के व्ययन पर प्रशासकीय निधियों के लिए नीति अधिकथित करना।

(ढ) सम्मानिक उपाधियां और विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधियां प्रदान करने के लिए कुलाधिपति को सिफारिश करना;

(ण) ऐसी उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाणपत्रों और विद्या परिषद् द्वारा सिफारिश की गयी अन्य विद्या संबंधी विशेष उपाधियों को संस्थित और प्रदत्त करना और जैसा परिनियमों द्वारा उपबंधित किया जाये, उन्हें प्रदान करने के लिए दीक्षांत समारोह की व्यवस्था करना;

(त) अध्येतावृतियां, यात्रा अध्येतावृतियां, छात्रवृतियां, अध्ययनवृतियां, प्रदर्शनी, पुरस्कार, पदक और पारितोषिक संस्थित करना।

(थ) परस्पर फायदाप्रद शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए अन्य विश्वविद्यालयों, संस्थाओं और संगठनों के साथ सहयोग के लिए नियम बनाना;

(द) राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन विश्वविद्यालय के अध्यापकों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के पद सृजित करना और उन पर नियुक्ति के लिए अर्हता अवधारित करना;

(ध) विश्वविद्यालय के आचार्य, उपाचार्य, अन्य अध्यापकों, कुल सचिव और वित्त और लेखा अधिकारी की नियुक्ति का अनुमोदन करना;

(न) अभ्यागत आचार्यों, प्रतिष्ठित आचार्यों, अध्येताओं और लेखकों की नियुक्तियाँ विनियमित और अनुमोदित करना और ऐसी नियुक्तियों के निबंधन और शर्तें अवधारित करना ;

(प) परामशी और अन्य व्यक्तियों की संविदा आधार पर नियुक्ति करना;

(फ) विश्वविद्यालय के अध्यापनेतर कर्मचारियों के चयन और नियुक्ति के लिए प्रक्रिया विहित करना ;

(ब) इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा बनायी गयी किसी भी विधि के अध्यधीन समस्त अनुमोदित संस्थाओं और सम्बद्ध महाविद्यालयों के अध्यापकों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति और उनकी सेवा के निबंधनों और शर्तों के लिए नियम और प्रक्रिया विहित करना;

(भ) फीस और अन्य प्रभार विहित करना ;

(म) प्रश्नपत्र निर्माताओं, परीक्षकों और परीक्षा संबंधी अन्य कर्मचारीवृन्द, आमंत्रित शिक्षक वर्ग और विश्वविद्यालय को दी गयी ऐसी अन्य सेवाओं के लिए मानदेय, पारिश्रमिक और फीस तथा यात्रा और अन्य भत्ते विहित करना ;

(य) विश्वविद्यालय के कार्यकरण के बारे में कुलपति से कालिक रिपार्ट प्राप्त करना और उस पर विचार करना ;

(य क) विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों, संस्थाओं या विभागों के सम्यक्, संचालन, कार्यकरण और वित्त से संबंधित किसी भी मामले के बारे में कोई जाँच करवाना ;

(य ख) अध्यापकों, अधिकारियों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों से अनुशासन का पालन करवाना; और

(य ग) ऐसे समस्त कार्य करना जो विश्वविद्यालय के उद्देश्य को पूरा करने के लिए आवश्यक हो।

14. विद्या परिषद् :- (1) विद्या परिषद् अध्यापन, अनुसंधान के मानकों को बनाये रखने और उनमें सुधार और शैक्षणिक मामलों में सहयोग कार्यक्रम और अध्यापकों के कार्यभार के मूल्यांकन के संबंध में शैक्षणिक नीतियां बनाने के लिए उत्तरदायी होगी।

(2) विद्या परिषद् में निम्नलिखित होंगे, अर्थात् :-

(क) कुलपति, अध्यक्ष;

(ख) संकायों के संकायाध्यक्ष;

(ग) अध्ययन बोर्डों के अध्यक्ष;

(घ) कुलपति द्वारा नामनिर्देशित एक प्राचार्य;

(ड) विश्वविद्यालय विभागों या कुलपति द्वारा नामनिर्देशित, संबद्ध महाविद्यालयों के विभागों के, दो विभागाध्यक्ष;

(च) महाविद्यालयों के प्राचार्यों, विश्वविद्यालय विभागों के विभागाध्यक्षों और मान्यताप्राप्त या अनुमोदित संस्थाओं के विभागाध्यक्षों से भिन्न, कम से कम सोलह वर्ष का अध्यापन अनुभव रखने वाले अध्यापकों में से विद्या परिषद् द्वारा सहयोजित, प्रत्येक संकाय का प्रतिनिधित्व करने वाला एक अध्यापक;

(छ) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित, चिकित्सा की भारतीय पद्धति के क्षेत्र में दो विख्यात विशेषज्ञ;

(ज) कुलसचिव विद्या परिषद् के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेगा।

(3) विद्या परिषद् की वर्ष में कम से कम दो बैठकें होंगी;

(4) विद्या परिषद् के नामनिर्देशित या सहयोजित सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष से अधिक की नहीं होंगी;

परन्तु कोई भी नामनिर्देशित सदस्य पुनः नामनिर्देशन योग्य होगा।

15. विद्या परिषद् की शक्तियाँ और कर्त्तव्य :- (1) विद्या परिषद् विश्वविद्यालय की प्रमुख शैक्षणिक प्राधिकारी होगी और विश्वविद्यालय में अध्यापन, अनुसंधान और परीक्षाओं के स्तरमानों को विनियमित करने और बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होगी।

(2) पूर्वगामी उपबंधो की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, विद्या परिषद् निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग और निम्नलिखित कर्त्तव्यों का पालन करेगी, अर्थात् :-

(क) उपाधियां, डिप्लोमें, प्रमाणपत्र और अन्य विद्या संबंधी विशेष उपाधियां संस्थित करने के बारे में प्रबन्ध बोर्ड को सिफारिश करना;

(ख) शैक्षणिक मामलों से संबंधित विषयों पर आर्डिनेन्स बनाने, संशोधित करने या निरसित करने के लिए प्रबन्ध बोर्ड को सिफारिश करना;

(ग) शैक्षणिक मामलों पर नियम बनाना, उन्हें संशोधित या निरसित करना;

(घ) संकायों को विषय आवंटित करना;

(ड) विश्वविद्यालय में महाविद्यालयों, विभागों, संस्थाओं, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं और संग्रहालयों की स्थापना के लिए प्रस्ताव करना;

(च) विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारीवृन्द के पदों के सृजन के लिए नवीन प्रस्तावों के संबंध में विचार करना और सिफारिश करना;

(छ) अध्येतावृत्तियाँ, यात्रा अध्येतावृत्तियाँ, छात्रवृत्तियाँ, अध्ययनवृत्ति, पदक और पुरस्कार संस्थित करने के लिए प्रबन्ध बोर्ड को प्रस्ताव करना और उनको प्रदान करने के लिए नियम बनाना;

(ज) प्रश्नपत्र बनाने वालों, परीक्षकों, अनुसीमकों और परीक्षाओं के संचालन से संबंधित अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति की अर्हताएं और मानक विहित करना;

(झ) विद्यमान पाठ्यक्रमों की उपयोगिता और साध्यता, और नवीन ज्ञान या परिवर्तनशील सामाजिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें पुनर्विलोकित या उपांतरित करने की वांछनीयता या आवश्यकता के कालिक पुनर्विलोकन के लिए समितियाँ नियुक्त करना;

(ञ) साधारणतया सभी शैक्षणिक मामलों पर विश्वविद्यालय को सलाह देना और शैक्षणिक कार्यक्रमों पर प्रबंध बोर्ड को साध्यता रिपोर्ट प्रस्तुत करना;

(ट) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन करना जो उस अधिनियम, परिनियमों और आर्डिनेन्सों के द्वारा या अधीन उसे प्रदत्त या उस पर अधिरोपित किये जायें।

16. संकाय :- विश्वविद्यालय में निम्नलिखित संकाय होंगे, अर्थात् :-

(1) आयुर्वेद,

(2) यूनानी,

(3) प्राकृतिक चिकित्सा,

(4) योग,

(5) होम्योपैथी,

(6) सिद्ध,

(7) ऐसे अन्य संकाय जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

17. संकायों की संरचना :- (1) संकायों में निम्नलिखित होंगे, अर्थात् :-

(क) संकाय का संकायाध्यक्ष,

(ख) संकाय के विभागों के अध्यक्ष,

(ग) संबंधित संकाय द्वारा सहयोजित किये जाने वाले तीन प्रख्यात विद्वान्,

(घ) संकाय द्वारा सहयोजित किये जाने वाले दो अध्यापक।

(2) किसी संकाय के सहयोजित सदस्य तीन वर्ष की कालावधि के लिए पद धारित करेंगे।

18. संकायों के कृत्य :- प्रत्येक संकाय निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात् :-

(क) अध्ययन बोर्ड से परामर्श के पश्चात् विद्या परिषद् को पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या और परीक्षाओं की स्कीमों की सिफारिश करना;

(ख) विद्या परिषद् के माध्यम से, प्रबंध बोर्ड को यह सिफारिश करना कि कौन से अध्ययन बोर्ड संस्थित किये जाने चाहिए और ऐसे बोर्डों का संख्या-बल क्या होना चाहिए और धारा 19 में उपबंधितानुसार उनका गठन करना;

(ग) उपाधियां और अन्य विद्या-संबंधी विशेष उपाधियां प्रदत्त करने की शर्तों की विद्या परिषद् को सिफारिश करना;

(घ) संकाय के समनुदेशित विषयों में कार्य का समन्वय करना;

(ड) अनुसंधान आयोजित करना, और जहां वांछनीय हो, उसमें समन्वय सुनिश्चित करना;

(च) विद्या परिषद् द्वारा उसे निर्दिष्ट किन्हीं मामलों का निपटारा करना।

(छ) मामले अध्ययन बोर्ड के पास भेजना;

(ज) उसके कार्यक्षेत्र में के ऐसे किसी भी मामले पर विचार करना जो अध्ययन बोर्ड द्वारा उसे निर्दिष्ट किया गया हो;

(झ) कुलपति की मंजूरी से किसी अन्य संकाय या संकायों के साथ संयुक्त रूप से बैठक करना, ऐसी संयुक्त बैठकें कुलपति द्वारा बुलायी जायेंगी और उनकी अध्यक्षता उसके द्वारा या उसके द्वारा नामनिर्देशित संकायाध्यक्ष द्वारा की जायेगी; और

(ञ) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो परिनियमों, आर्डिनेन्सों और नियमों द्वारा विहित किये जायें।

19. अध्ययन बोर्ड :- (1) प्रत्येक विषय या विषयों के समूह के लिए एक अध्ययन बोर्ड होगा, जो परिनियमों द्वारा विहित किया जायें।

(2) अध्ययन बोर्ड का गठन, शक्तियों और कर्तव्य वे होंगे जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

20. वित्त और लेखा समिति :- (1) एक वित्त और लेखा समिति होगी जिसमें निम्नलिखित होंगे, अर्थात् :-

(क) कुलपति - अध्यक्ष;

(ख) शासन सचिव, आयुर्वेद विभाग या उप सचिव से अनिम्न रैंक का उसका नामनिर्देशिती;

(ग) शासन सचिव, वित्त विभाग या उप सचिव से अनिम्न रैंक का उसका नामनिर्देशिती;

(घ) प्रबंध बोर्ड द्वारा उसके सदस्यों में से नामनिर्देशित एक व्यक्ति;

(ड) विद्या परिषद् द्वारा उसके सदस्यों में से नामनिर्देशित एक व्यक्ति;

(च) वित्त और लेखा अधिकारी सदस्य सचिव।

(2) समिति, उपलब्ध उपबंधों को ध्यान में रखते हुए लेखाओं, व्ययों की प्रगति और ऐसे समस्त नवीन प्रस्तावों की, जिनमें नवीन व्यय अन्तर्वलित हो, परीक्षा के लिए वर्ष में कम से कम चार बैठकें करेगी।

(3) वित्त और लेखा अधिकारी द्वारा तैयार किया गया विश्वविद्यालय के लेखाओं का वार्षिक विवरण और वित्तीय प्राक्कलन (बजट) वित्त और लेखा समिति के समक्ष विचार और सिफारिश के लिए और तत्पश्चात् प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष ऐसी कार्यवाही के लिए, जो वह उचित समझें, प्रस्तुत करने के लिए रखा जायेगा।

(4) समिति निम्नलिखित अतिरिक्त कृत्यों और कर्त्तव्यों का पालन करेगी, अर्थात्:-

(क) उत्पादक कार्य के लिए उधारों के आगमों को सम्मिलित करते हुए विश्वविद्यालय की आय और संसाधनों पर आधारित वर्ष के कुल आवर्ती और अनावर्ती व्ययों की सीमाओं की प्रबन्ध बोर्ड को सिफाारिश करना;

(ख) प्रबन्ध बोर्ड को विश्वविद्यालय की आस्तियों और संसाधनों के उत्पादक विनियोजन और प्रबन्ध की सिफारिश करना;

(ग) विश्वविद्यालय के विकास के लिए संसाधनों के संवर्धन की सम्भावनाओं को तलाशना और उनका अवलम्ब लेना;

(घ) प्रबन्ध बोर्ड द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षकों द्वारा विश्वविद्यालय के लेखाओं का लेखा परीक्षण करवाने के लिए आवश्यक कदम उठाना।

(ड) विश्वविद्यालय की सम्पत्ति और निधियों के प्रशासन से संबंधित मामलों पर प्रबन्ध बोर्ड को सलाह देना;

(च) वित्तीय मामलों के संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के समुचित क्रियान्वन को सुनिश्चित करना;

(छ) विश्वविद्यालय के प्रबन्ध बोर्ड, विद्या परिषद् या किसी भी अन्य प्राधिकारी निकाय या समिति द्वारा उसे निर्दिष्ट वित्तीय मामलों पर सलाह देना;

(ज) वित्तीय मामलों में किसी भी भूल या अनियमितता, जो इसके ध्यान में आये, की रिपार्ट कुलपति को देना, जो मामले की गंभीरता का निर्धारण करने के पश्चात् समुचित त्वरित कार्यवाही करेगा या उसे प्रबन्ध बोर्ड को निर्दिष्ट करेगा;

(5) समिति की अन्य शक्तियाँ और कर्त्तव्य और इसकी बैठकों की प्रक्रिया ऐसी होगी जो विनिमयों द्वारा विहित की जाये।

(6) विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा राज्य सरकार द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षण के लिए खुला रहेगा।

21. **खेल-कूद और छात्र कल्याण बोर्ड:-** (1) विश्वविद्यालय एक खेल-कूद और छात्र कल्याण बोर्ड स्थापित करेगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन स्थापित बोर्ड का गठन, शक्तियां और कर्त्तव्य ऐसे होगें जो परिनियमों द्वारा विहित किये जाये।

22. **अन्य विश्वविद्यालय निकाय :-** ऐसे अन्य निकायों का, जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के रूप में घोषित किया जाये, गठन, शक्तियां और कर्त्तव्य ऐसे होगें जो परिनियमों द्वारा विहित किये जाये।

अध्याय - 4
विश्वविद्यालय के अधिकारी

23. **विश्वविद्यालय के अधिकारी :-** विश्वविद्यालय के अधिकारी निम्नलिखित होगें, अर्थात् :-

(i) कुलपति,

(ii) कुलसचिव,

(iii) संकायों के संकायाध्यक्ष,

(iv) वित और लेखा अधिकारी।

(v) विश्वविद्यालय सेवा के ऐसे अन्य अधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किये जाये।

24. **कुलपति :-** (1) कुलपति विश्वविद्यालय का एक पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और निम्नलिखित से गठित चयन समिति की सिफारिश पर कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा, अर्थात् :-

(क) प्रबन्ध बोर्ड द्वारा नामनिर्देशित कोई व्यक्ति जो विश्वविद्यालय या किसी भी सम्बद्ध महाविद्यालय या मान्यताप्राप्त या अनुमोदित संस्थाओं से संसक्त नही होना चाहिए;

(ख) भारत सरकार के भारतीय चिकित्सा पद्धति (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) विभाग द्वारा नामनिर्देशित, भारतीय चिकित्सा पद्धति का विशिष्ट ज्ञान रखने वाला कोई व्यक्ति;

(ग) शासन सचिव, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान या राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित कोई भी अन्य अधिकारी;

(घ) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित एक प्रख्यात आयुर्वेदिक शिक्षाविद्;

और कुलाधिपति इन व्यक्तियों में से एक को समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करेगा।

(2) पैनल तैयार करने की प्रक्रिया कुलपति की रिक्ति होने की संभावित तारीख से कम से कम तीन मास पहले प्रारम्भ होगी और कुलाधिपति द्वारा नियत समय सीमा के भीतर भीतर पूरी कर ली जायेगी। कुलाधिपति समय सीमा बढ़ा सकेगा, यदि ऐसा करना आवश्यक हो, किन्तु इस प्रकार बढ़ायी गयी कालावधि कुल मिलाकर तीन मास से अधिक नहीं होगी।

(3) समिति, कुलपति नियुक्त किये जाने के लिए, कुलाधिपति के विचारार्थ कम से कम तीन उपयुक्त व्यक्तियों के पैनल की सिफारिश करेगी। नाम वर्णक्रम में कोई भी अधिमान उपदर्शित किये बिना, होगें। रिपोर्ट के साथ, पैनल में सम्मिलित प्रत्येक व्यक्ति की उपयुक्तता पर ब्यौरेवार विवरण, लगा होगा।

(4) विश्वविद्यालय समिति पर कुलाधिपति द्वारा यथा अनुमोदित व्यय उपगत करेगा।

(5) कुलाधिपति, राज्य सरकार के परामर्श से पैनल में सम्मिलित व्यक्तियों में से एक को कुलपति नियुक्त करेगा। यदि कुलाधिपति इस प्रकार सिफारिश किये गये व्यक्तियों में से किसी का भी अनुमोदन नहीं करता है तो वह या तो उसी समिति से या इस प्रयोजन के लिए किसी नयी समिति के गठन के पश्चात् नये पैनल की मांग कर सकेगा।

(6) कुलपति के रूप में नियुक्त व्यक्ति उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, पाँच वर्ष तक की कालावधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पहले हो, पद धारित करेगा और पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

(7) कुलपति, कुलाधिपति को संबोधित स्वहस्ताक्षर लिखित त्यागपत्र द्वारा अपना पद त्याग सकेगा जो कुलाधिपति को सामान्यतः उस तारीख से साठ दिन पूर्व दिया जायेगा, जब कुलपति अपने पद से मुक्त होने की इच्छा रखता है, किन्तु कुलाधिपति उसे पहले भी मुक्त कर सकेगा।

(8) कुलाधिपति किसी भी उपयुक्त व्यक्ति को, निम्नलिखित किन्हीं भी परिस्थितियों में, कुल मिलाकर छः मास से अधिक की ऐसी कालावधि के लिए जो वह अपने आदेश में विनिर्दिष्ट करे, कुलपति के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकेगाः-

(क) जहाँ मृत्यु या त्यागपत्र के कारण, कुलपति पद की कोई रिक्ति हो जाती है और उप-धारा (1) से (6) के उपबंधों के अनुसार रिक्ति सुविधापूर्वक और तत्परतापूर्वक भरी नहीं जा सकती है;

(ख) जहाँ कुलपति की रिक्ति बीमारी या अन्य कारणों से अस्थायी रूप से होती है।

(9) कुलपति की सेवा की परिलब्धियाँ और अन्य शर्तें ऐसी होगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जायें और उसकी नियुक्ति के पश्चात् उनका परिवर्तन उसके लिए अहितकर रूप में नहीं किया जायेगा।

25. कुलपति की शक्तियाँ (1) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा और कुलाधिपति की अनुपस्थिति में विश्वविद्यालय के किसी

भी दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेगा। वह प्रबंध बोर्ड, विद्या परिषद् का और धारा 50 के अधीन गठित समितियों का पदेन सदस्य और अध्यक्ष होगा। वह विश्वविद्यालय के किसी भी अन्य प्राधिकारी या निकाय की बैठक में उपस्थित होने और बोलने का हकदार होगा किन्तु मतदान का तब तक हकदार नहीं होगा जब तक कि वह उस प्राधिकारी या निकाय का सदस्य नहीं है।

(2) कुलपति को, प्रबंध बोर्ड, विद्या परिषद् की बैठक और संकायों और विश्वविद्यालय के ऐसे अन्य प्राधिकारियों की, जिनका वह अध्यक्ष है, संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति होगी। वह यह शक्ति विश्वविद्यालय के किसी भी अन्य अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगा।

(3) कुलपति, इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, विश्वविद्यालय के अध्यापकों और सहायक कुल सचिव के समकक्ष या ऊपर की रैंक अधिकारियों के लिए नियुक्ति प्राधिकारी होगा।

(4) कुलपति का यह सुनिश्चित करने का कर्त्तव्य होगा कि इस अधिनियम, परिनियमों, आर्डिनेन्सों और नियमों का निष्ठापूर्वक अनुपालन किया जाता है और उसे इस प्रयोजन के लिए आवश्यक समस्त शक्तियाँ प्राप्त होगी।

(5) (क) किसी भी आपात स्थिति में, जिसमें कुलपति की यह राय हो कि तुरन्त कार्रवाई की जाने अपेक्षित है तो वह ऐसी कार्रवाई करेगा जो वह आवश्यक समझे और तत्पश्चात् शीघ्रतम अवसर पर ऐसे अधिकारी, प्राधिकारी या निकाय को अपनी कार्रवाई की रिपोर्ट करेगा। जिसने सामान्य अनुक्रम में ऐसे मामले को निपटाया होता।

(ख) जब इस उप-धारा के अधीन कुलपति द्वारा की गयी कार्रवाई विश्वविद्यालय की सेवा में के किसी भी व्यक्ति पर प्रभाव डालती है तो ऐसा व्यक्ति ऐसी कार्रवाई के संसूचित होने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर-भीतर, उक्त अधिकारी, प्राधिकारी या निकाय के जरिये प्रबंध बोर्ड को अपील कर सकेगा।

(6) कुलपति विश्वविद्यालय की सेवा में, के व्यक्तियों या विश्वविद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति, पदच्युति, निलंबन और दण्ड से संबंधित या ऐसे किसी भी अध्यापक को मान्यता या मान्यता के प्रत्याहरण से संबंधित प्रबंध बोर्ड के आदेशों को कार्यान्वित करेगा और विश्वविद्यालय के कार्यकलापों में साधारण नियन्त्रण का प्रयोग करेगा। वह इस अधिनियम, परिनियमों और आर्डिनेन्सों के अनुसार विश्वविद्यालय के अनुशासन के लिए उत्तरदायी होगा।

(7) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा जो परिनियमों और आर्डिनेन्सों द्वारा विहित की जायें।

26. कुलसचिव :- (1) कुलसचिव विश्वविद्यालय का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होगा। वह पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और सीधे कुलपति के अधीक्षण, निर्देश और नियंत्रण के अधीन कार्य करेगा।

(2) कुलसचिव की नियुक्ति प्रबंध बोर्ड द्वारा राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन) अधिनियम, 1974 (1974 का अधिनियम सं. 18) में अधिकथित रीति से की जायेगी,: परन्तु प्रथम कुलसचिव राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(3) कुलसचिव की नियुक्ति पांच वर्ष की अवधि के लिए होगी और वह पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा। कुलसचिव के चयन के प्रयोजन के लिए अर्हता और अनुभव ऐसा होगा जो परिनियमों द्वारा विहित किया जावें।

(4) कुलसचिव की सेवा की अवधि, अर्हताएँ, अनुभव, वेतन, परिलब्धियाँ और अन्य शर्तें ऐसी होंगी जो प्रबंध बोर्ड द्वारा अवधारित की जायें।

(5) जब कुलसचिव का पद रिक्त हो जाता है या जब कुलसचिव बीमारी पर अनुपस्थिति या किसी भी अन्य कारण से छः माह से अनधिक की कालावधि के लिए अपने पद के कर्त्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है तो कुलपति कुलसचिव के रूप में कार्यवहन करने के लिए उपयुक्त व्यक्ति को तब तक के लिए नियुक्त करेगा जब तक कि नया कुलसचिव नियुक्त नहीं हो और पद ग्रहण नहीं कर लेता या, यथास्थिति, कुलसचिव अपने कर्त्तव्यों को फिर से सँभाल नहीं लेता है।

(6) कुलसचिव ऐसे प्राधिकारियों, निकायों और समितियों के सचिव के रूप में कार्य करेगा जो इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन विहित किये जायें।

(7) कुलसचिव, अध्यापकों और सहायक कुलसचिव रैंक के अधिकारियों और उसके समतुल्य पद धारण करने वाले अधिकारियों से भिन्न विश्वविद्यालय कर्मचारियों की नियुक्ति और अनुशासनिक प्राधिकारी होगा। कुलसचिव के विनिश्चय से व्यथित किसी व्यक्ति द्वारा कोई अपील, ऐसे विनिश्चय की संसूचना की तारीख से तीस दिन के भीतर-भीतर, कुलपति को की जा सकेगी।

(8) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के विनिश्चय के अध्यधीन कुलसचिव को विश्वविद्यालय की ओर से करार करने, दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने और अभिलेख अधिप्रमाणित करने की शक्ति होगी।

(9) कुलसचिव विश्वविद्यालय के अभिलेखों, सामान्य मुद्रा और ऐसी अन्य संपत्ति का अभिरक्षक होगा जो, प्रबंध बोर्ड उसके भार साधन में सुपुर्द करे।

(10) कुलसचिव, समय-समय पर, प्राधिकारियों, निकायों या समितियों द्वारा अनुमोदित परिनियमों, आर्डिनेन्सों और नियमों की पुस्तिका तैयार और आदिनांकित करेगा, और विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के समस्त संबंधित सदस्यों और अधिकारियों को उपलब्ध करवायेगा।

(11) कुलसचिव प्रशासन के सुधार से संबंधित शिकायतों और सुझावों को प्राप्त करेगा और समुचित कार्रवाई के लिए उन पर विचार करेगा।

(12) कुलसचिव ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन करेगा जो इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन विहित किये जाये या कुलपति द्वारा समय-समय पर उसे समनुदेशित किये जायें।

27. संकायाध्यक्ष :- (1) प्रत्येक संकाय का एक संकायाध्यक्ष होगा जिसे निम्नलिखित अधिमान क्रम में कुलपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा, अर्थात् :

(क) संबंधित संकाय में स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के प्राचार्य/निदेशक;

(ख) संबंधित संकाय में आचार्य की रैंक के विषयों के विभागाध्यक्ष ।

(2) संकायाध्यक्ष तीन वर्ष की कालावधि के लिए पद धारित करेंगे और कोई भी व्यक्ति उसकी विगत पदावधि की समाप्ति के पश्चात् कम से कम तीन वर्ष की कालावधि के अवसान तक पुनः नियुक्त होने का पात्र नहीं होगा।

28. संकायाध्यक्ष के कृत्य :- (1) किसी संकाय का संकायाध्यक्ष उस संकाय से संबंधित परिनियमों, आर्डिनेन्सों और नियमों के सम्यक् अनुपालन के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) संकायाध्यक्ष, संकाय की बैठकों की अध्यक्षता करेगा और उनकी कार्यवाहियाँ अभिलिखित करेगा।

(3) संकायाध्यक्ष को, अपने संकाय से संबंधित अध्ययन बोर्डों की बैठकों में उपस्थित होने और बोलने का अधिकार होगा किन्तु जब तक वह उसका सदस्य नहीं हो उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा।

29. वित्त और लेखा अधिकारी :- (1) (क) वित्त और लेखा अधिकारी विश्वविद्यालय का प्रमुख वित्त, लेखा और संपरीक्षा अधिकारी होगा। वह पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और सीधे कुलपति के नियंत्रण के अधीन कार्य करेगा।

(ख) वित्त और लेखा अधिकारी की नियुक्ति राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन) अधिनियम 1974 (1974 का अधिनियम सं. 18) के अनुसार की जायेगी।

(2) वित्त और लेखा अधिकारी वित्त और लेखा समिति का सदस्य-सचिव होगा। वह प्रबंध बोर्ड में उपस्थित रहेगा और अध्यक्ष द्वारा पूछे गये वित्तीय विवक्षाओं के उन विषयों की कार्यवाही में भाग लेगा किन्तु मतदान का हकदार नहीं होगा।

(3) वित्त और लेखा अधिकारी, वित्त और लेखा समिति और प्रबंध बोर्ड को वार्षिक बजट, लेखा विवरण और संपरीक्षा रिपोर्ट पेश करने के दायित्वाधीन होगा।

(4) वित्त और लेखा अधिकारी के कर्त्तव्य निम्नलिखित होंगे :-

(क) विश्वविद्यालय की निधियों का साधारण पर्यवेक्षण करना और विश्वविद्यालय के वित्त प्रबंधों के संबंध में कुलपति को सलाह देना;

(ख) यह सुनिश्चित करना कि किसी वर्ष के लिए आवर्ती और अनावर्ती व्यय के लिए विश्वविद्यालय द्वारा नियत सीमाएँ, अधिक नहीं हो और यह कि समस्त आवंटन उन प्रयोजनों के लिए जिनके लिए वे मंजूर या आवंटित किये गये हैं, व्यय किये गये हैं;

(ग) राजस्व के संग्रहण की प्रगति पर नजर रखना और संग्रहण के लिए प्रयुक्त की जाने वाली नीतियों पर कुलपति को सलाह देना;

(घ) विश्वविद्यालय के लेखाओं की नियमित रूप से संपरीक्षा करवाना;

(ड) यह सुनिश्चित करना कि भवनों, भूमि, उपस्कर और मशीनरी के रजिस्टर अद्यतन रखे जाते हैं और यह कि विश्वविद्यालय के समस्त कार्यालयों, महाविद्यालयो, कार्यशालाओं और गोदामों में उपस्करों और अन्य खपने वाली सामग्री का स्टाक मिलान नियमित रूप से किया जाता है;

(च) कुलपति को यह प्रस्तावित करना कि विश्वविद्यालय के किसी शैक्षणिक सदस्य से अप्राधिकृत व्यय या अन्य वित्तीय अनियमितताओं के लिए स्पष्टीकरण माँगा जाये;

(छ) कुलसचिव को यह प्रस्तावित करना कि किसी विशेष मामले में अप्राधिकृत व्यय या अनियमितताओं के लिए विश्वविद्यालय के किसी कर्मचारी या अधिकारी से स्पष्टीकरण माँगा जावे और दोषों व्यक्तियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की सिफारिश की जाये;

(ज) विश्वविद्यालय के किसी भी कार्यालय, केन्द्र, प्रयोगशाला, महाविद्यालय, विभाग या विश्वविद्यालय संस्था से किसी ऐसी सूचना और विवरणी की माँग करना, जिसे वह उसके वित्तीय उत्तरदायित्वों के उचित निर्वहण के लिए आवश्यक समझता है; और

(झ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना, ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन करना और ऐसे अन्य वित्तीय कृत्यों का निर्वहन करना जो कुलपति द्वारा उसे समनुदेशित किये जायें या परिनियमों या आर्डिनेन्सों द्वारा विहित किये जायें।

30. अन्य अधिकारी :- (1) विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति और कृत्य परिनियमों और आर्डिनेन्सों द्वारा विहित किये जायेंगे।

(2) अन्य अधिकारियों के वेतन, परिलब्धियां और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जो प्रबंध बोर्ड द्वारा अवधारित की जायें।

अध्याय - 5
परिनियम, आर्डिनेन्स और नियम

31. परिनियमः- ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या उसके अधीन विहित की जायें, परिनियम निम्नलिखित सभी विषयों के लिए या उनमें से किसी के लिए उपबन्ध कर सकेगें, अर्थात् :-

(क) सम्मानिक उपाधियों का प्रदान;

(ख) उपाधियां प्रदान करने के लिए दीक्षान्त समारोह का आयोजन;

(ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की शक्तियां और कर्त्तव्य;

(घ) इस अधिनियम में यथा उपबंधित के सिवाय, विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों का गठन, शक्तियां और कर्त्तव्य;

(ड) विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालयों, विभागों, संस्थाओं और छात्रावासों का स्थापन और संधारण;

(च) वसीयतों, दान और विन्यासों का प्रतिग्रहण और प्रबन्ध।

(छ) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों की बैठकों में प्रक्रिया और उनके कार्य के संव्यवहार के लिए प्रक्रिया;

(ज) सम्बद्ध महाविद्यालयों तथा मान्यताप्राप्त और अनुमोदित संस्थाओं में आचार्यों, उपाचार्यों, प्राध्यापकों और अध्यापकों की अर्हताएँ ;

(झ) ऐसे समस्त मामले जो इस अधिनियम द्वारा विहित किये जाने है या परिनियमों द्वारा विहित किये जाये।

32. परिनियमों का बनाया जाना, उनका संशोधन, प्रवर्तन और निरसन :- (1) परिनियम, प्रबन्ध बोर्ड द्वारा इसमें, इसके आगे उपबंधित रीति से बनाये जा सकेगें या प्रबन्ध बोर्ड द्वारा बनाये गये परिनियमों द्वारा संशोधित या निरसित या परिवर्धित किये जा सकेगें।

(2) प्रबन्ध बोर्ड परिनियम के प्रारूप पर या तो स्वप्रेरणा से या विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी द्वारा किये गये प्रस्ताव के आधार पर विचार कर सकेगा।

(3) जहाँ कोई परिनियम विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी की शक्तियों या कर्त्तव्यों को प्रभावित करता है वहाँ :-

(क) ऐसे परिनियम के प्रारूप को प्रस्तावित किये जाने के पूर्व, प्रबन्ध बोर्ड संबंधित अधिकारी या प्राधिकारी के दृष्टिकोण को अभिनिश्चित करेगा और उन पर विचार करेगा, और

(ख) प्रबन्ध बोर्ड, स्वप्रेरणा पर विचार किये गये किसी ऐसे परिनियम को पारित किये जाने के पूर्व संबंधित अधिकारी या प्राधिकारी के दृष्टिकोण को अभिनिश्चित करेगा और उन पर विचार करेगा।

(4) प्रबन्ध बोर्ड द्वारा पारित प्रत्येक परिनियम कुलाधिपति को प्रस्तुत किया जायेगा जो उस पर अपनी अनुमति दे सकेगा या उसे रोक सकेगा या उसे विचारार्थ प्रबन्ध बोर्ड को वापस निर्दिष्ट कर सकेगा।

(5) प्रबन्ध बोर्ड द्वारा पारित किसी भी परिनियम को तब तक कोई विधिमान्यता नहीं होगी जब तक कुलाधिपति द्वारा उस पर अनुमति न दे दी जाये।

(6) परिनियम या उनके कोई संशोधन राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगें।

33. आर्डिनेन्सों का विस्तार और उनका बनाया जाना :- (1) इस अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये परिनियमों के उपबंधों के अध्यधीन, प्रबंध बोर्ड निम्नलिखित सभी या किन्हीं भी नियमों का उपबंध करने के लिए आर्डिनेन्स बना सकेगा, अर्थात् :-

(क) छात्रों का विश्वविद्यालय में प्रवेश;

(ख) विश्वविद्यालय को समस्त उपाधियों, डिप्लोमों और प्रमाण पत्रों के लिए अधिकथित किया जाने वाला पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या;

(ग) ये शर्तें, जिनके अधीन छात्रों को उपाधियों, डिप्लोमों और अन्य विद्या संबंधी विशेष उपाधियों के लिए पाठ्यक्रमों तथा पाठ्यचर्याओं और परीक्षाओं में प्रवेश दिया जायेगा;

(घ) छात्रावासों को मान्यता और उनका निरीक्षण;

(ड) विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास, आचरण, उपस्थिति और अनुशासन की शर्तें;

(च) परीक्षाओं का संचालन

(छ) अनुसंधान में मार्गदर्शन करने के लिए पर्यवेक्षकों को मान्यता;

(ज) विश्वविद्यालय के अध्यापकों की परिलब्धियां और सेवा की शर्तें;

(झ) छात्रों के स्थानान्तरण के संबंध में सम्बद्ध महाविद्यालयों द्वारा पालन और प्रवृत्त किये जाने वाले नियम;

(ञ) विश्वविद्यालय के अध्यापकों की संख्या, नियुक्ति की अर्हता और शर्तें;

(ट) प्राधिकारियों द्वारा नियुक्त की जाने वाली समितियों के कर्त्तव्य और शक्तियाँ;

(ठ) विश्वविद्यालय के कुलसचिव तथा अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्त्तव्य;

(ड़) परीक्षकों की नियुक्तियाँ और कर्त्तव्यों को विनियमित करने वाली शर्तें;

(ढ) विश्वविद्यालय के लिए या उसकी ओर से की गयी संविदाओं या करारों के निष्पादन का ढंग;

(ण) विश्वविद्यालय में, या उसकी ओर से शिक्षण के पाठ्यक्रमों के लिए प्रभारित की जाने वाली फीस;

(त) ऐसे समस्त विषय जो इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा आर्डिनेन्सों द्वारा उपबंधित किये जाने है या किये जा सकेगें; और

(थ) साधारणतः वे समस्त विषय, जिनका उपबंध प्रबन्ध बोर्ड की राय में, इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय प्राधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग या अधिरोपित कर्त्तव्यों के पालन के लिए आवश्यक है:

परन्तु विश्वविद्यालय में या उसकी परीक्षाओं, पाठ्यक्रमों, परीक्षा की स्कीम में प्रवेश, परीक्षकों की उपस्थिति और नियुक्ति से संबंधित किसी भी आर्डिनेन्स पर तब तक

कोई विचार नही किया जायेगा, जब तक कि ऐसे आर्डिनेन्स के प्रारूप को विद्या परिषद् द्वारा प्रस्तावित नहीं किया गया हो।

(2) प्रबन्ध बोर्ड को, उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन विद्या परिषद् द्वारा प्रस्तावित किसी भी प्रारूप को संशोधित करने की शक्ति नहीं होगी, किन्तु वह उसे या तो ऐसे किसी संशोधन के साथ, जो प्रबन्ध बोर्ड द्वारा सुझाया जाये, या तो पूर्णतः या भागतः पुनः विचार के लिए विद्या परिषद् को लौटा सकेगा।

(3) प्रबन्ध बोर्ड द्वारा बनाये गये समस्त आर्डिनेन्स अनुमोदन के लिए कुलाधिपति को प्रस्तुत किये जायेगें और ऐसे समस्त आर्डिनेन्स, कुलाधिपति द्वारा उनके अनुमोदन के पश्चात्, राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगें।

34. नियम और उनका बनाया जाना :- विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को, जहां प्रबंध बोर्ड से भिन्न किसी प्राधिकारी द्वारा नियम बनाये जाये, प्रबन्ध बोर्ड के अनुमोदन के अध्यधीन रहते हुए, इस अधिनियम, परिनियमों या आर्डिनेन्सों द्वारा उपबंधित विषयों के संबंध में और अपने कार्यकलापों के संचालन और ऐसे प्राधिकारी द्वारा गठित की गयी समितियों के कार्यकलापों के लिए नियम बनाने की शक्ति होगी। ऐसे नियम इस अधिनियम, परिनियमों और आर्डिनेन्सों के उपबंधों से असंगत नहीं होगें।

अध्याय - 6

सम्बद्धता, मान्यता और अनुमोदन

35 सम्बद्धता :- (1) विश्वविद्यालय के संबद्धता के लिए आवेदन करने वाला कोई महाविद्यालय कुलसचिव को एक आवेदन पत्र भेजेगा और विद्या परिषद् का यह समाधान करेगा:-

(क) कि महाविद्यालय उस परिक्षेत्र की उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए, जहाँ महाविद्यालय स्थापित किया जाना है, चिकित्सा की भारतीय पद्धति में शिक्षण और अध्यापन के बारे में परिक्षेत्र की आवश्यकता की पूर्ति करेगा;

(ख) कि महाविद्यालय नियमित रूप से गठित शासी निकाय के प्रबंधाधीन रहेगा;

(ग) कि उसके अध्यापन कर्मचारीवृन्द की संख्या तथा अर्हताएँ और उनकी पदावधि को विनियमित करने वाली शर्तें ऐसी हैं कि महाविद्यालय द्वारा चलाये जाने वाले शिक्षण, अध्यापन या प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम के लिए सम्यक् उपबंध किये जा सकें;

(घ) कि भवन, जिनमें महाविद्यालय अवस्थित किया जाना है, उपयुक्त हैं और यह कि उन छात्रों के लिए, जो अपने माता-पिता या संरक्षक के साथ नहीं रह रहे हैं, महाविद्यालय में या महाविद्यालय द्वारा अनुमोदित वासों में निवास के लिए और छात्रों के पर्यवेक्षण और कल्याण के लिए आर्डिनेन्स के अनुरूप उपबंध किये जायेंगे;

(ड) कि पुस्तकालय के लिए सम्यक् उपबंध किये गये हैं या किये जायेंगे;

(च) कि समुचित रूप से उपस्कृत प्रयोगशाला या संग्रहालय में चिकित्सा की भारतीय पद्धति में शिक्षा देने के लिए, परिनियमों और आर्डिनेंसों के अनुरूप इंतजाम किये जायेंगे;

(छ) कि जहां तक परिस्थितियां अनुज्ञात करें, प्राचार्य और अध्यापन कर्मचारीवृन्द के कुछ सदस्यों के निवास के लिए महाविद्यालय या छात्रों के निवास के लिए उपलब्ध कराये गये स्थान में या उसके निकट सम्यक् उपलब्ध कराये गये स्थान में या उसके निकट सम्यक् उपबन्ध किया जायेगा;

(ज) कि महाविद्यालय के वित्तीय संसाधन ऐसे हैं कि उनके निरन्तर अनुरक्षण और दक्षतापूर्ण कार्यकरण के लिए सम्यक् उपबन्ध किये जा सकें; और

(झ) कि छात्रों द्वारा संदत्त की जाने वाली फीस, यदि कोई हो, नियत करने वाले नियम इस प्रकार विरचित नहीं किये गये हैं जिसमें उसी के पड़ोस में विद्यमान किसी महाविद्यालय के साथ ऐसी प्रतियोगिता अन्तर्वलित हो जाये, जो शिक्षा के हितों को नुकसान पहुँचाने वाली हो।

(2) कि आवेदन-पत्र में यह आश्वासन अन्तर्विष्ट होगा कि महाविद्यालय की संबद्धता के पश्चात् प्रबंध या अध्यापन कर्मचारीवृन्द में ऐसे किन्हीं परिवर्तनों और समस्त अन्य परिवर्तनों की, जिनके परिणामस्वरूप उप-धारा (1) में उल्लिखित अपेक्षाओं में से किन्हीं की पूर्ति नहीं हो पाये या पूर्ति निरन्तर नहीं होती रहे, विद्या परिषद् को तत्काल रिपोर्ट की जायेगी।

(3) उप-धारा (1) के अधीन आवेदन पत्र प्राप्त होने पर विद्या परिषद् -

(क) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट विषयों और ऐसे अन्य विषयों के संबंध में जिन्हें आवश्यक और सुसंगत समझा जाये, किसी सक्षम व्यक्ति या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा कोई स्थानीय जाँच किये जाने का निर्देश करेगी;

(ख) ऐसी और जाँच भी करेगी जो उसे इसके बारे में आवश्यक प्रतीत हो;

(ग) उसे संप्रेषित किन्हीं शर्तों के पुनर्विचार के लिए आवेदक द्वारा किये गये निवेदन पर, यदि कोई हो, सम्यक् विचार करेगी;

(घ) खण्ड (क) और (ख) के अधीन किसी जाँच के परिणाम का कथन करते हुए, इस प्रश्न पर कि क्या आवेदन पत्र को संपूर्णतः या भागतः मंजूर या नामंजूर किया जाना चाहिए, अपनी राय अभिलिखित करेगी।

(4) कुलसचिव आवेदन पत्र और समस्त कार्यवाहियों को राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा जो, ऐसी जाँच करने के पश्चात् जो उसे आवश्यक प्रतीत हो, उस आवेदन या उसके किसी भाग को मंजूर या नामंजूर करेगी।

(5) जहाँ आवेदन पत्र या उसके किसी भी भाग को मंजूर कर लिया जाता है, वहाँ राज्य सरकार के आदेश में वह शिक्षण पाठ्यक्रम विनिर्दिष्ट होगा जिसके संबंध में महाविद्यालय को संबद्ध किया गया है, जहाँ आवेदन पत्र या उसका कोई भाग नामंजूर कर दिया जाता है, वहाँ ऐसी नामंजूरी के आधार कथित किये जायेंगे।

(6) राज्य सरकार अपना आदेश कर दे उसके पश्चात् यथाशक्य शीघ्र कुलसचिव, प्रबंध बोर्ड को आवेदन पत्र उस पर उप धारा (3) से (5) के अधीन की गयी कार्यवाई और उससे संसक्त समस्त कार्यवाहियों के संबंध में एक संपूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(7) उप धारा (1) के अधीन किया गया कोई भी आवेदन पत्र, उप धारा (4) के अधीन किये गये आदेश से पहले किसी भी समय वापस लिया जा सकेगा।

36. संबद्धता का संवर्धन - जहाँ कोई महाविद्यालय शिक्षण पाठ्यक्रम को, जिससे वह संबद्ध है, परिवर्धित करने की वांछा करता है वहाँ जहां तक हो सके, धारा 35 में विहित प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा।

37. अनुसंधान और विशेषज्ञीय अध्ययन की संस्थाओं को मान्यता - (1) विद्या परिषद् को महाविद्यालय से भिन्न किसी संस्था को चिकित्सा की भारतीय पद्धति में, अनुसंधान या विशेषज्ञीय ज्ञान की किसी मान्यताप्राप्त संस्था के रूप में मान्यता प्रदान करने की शक्ति होगी।

(2) कोई संस्था जो ऐसी मान्यताप्राप्त करने की इच्छुक हो, कुलसचिव को आवेदन-पत्र भेजेगी और आवेदन पत्र में निम्नलिखित मामलों के बारे में पूर्ण जानकारी देगी, अर्थात् :-

(क) प्रबन्ध निकाय का गठन और उसके कार्मिक;

(ख) विषय और पाठ्यक्रम जिनके विषय में मान्यता ली जानी है;

(ग) वास सुविधा, उपस्कर, पुस्तकालय सुविधा और विद्यार्थियों की संख्या, जिनके लिए उपबंध किया गया है या प्रस्तावित किया जाना है;

(घ) स्टाफ की संख्या, उनकी अर्हताएँ और वेतन और उनके द्वारा किया गया अनुसंधान कार्य;

(ड) उद्गृहीत फीस या उद्गृहीत किये जाने के लिए प्रस्तावित फीस और भवन और उपस्कर पर पूँजीगत व्यय, और संस्था के निरन्तर अनुरक्षण और उसके प्रभावी कामकाज के लिए किये गये वित्तीय उपबन्ध।

(3) विद्या परिषद् आवेदन पत्र पर विचार करने से पूर्व कोई और जानकारी, जो वह आवश्यक समझे मांग सकेगी।

(4) यदि विद्या परिषद् आवेदन पत्र पर विचार करने का विनिश्चय करती है तो वह किसी सक्षम व्यक्ति या, उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा स्थानीय जाँच कर निर्देश दे सकेगी। ऐसी स्थानीय जाँच के परिणामस्वरूप तैयार की गयी रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और ऐसी और जाँच, जो उसे आवश्यक प्रतीत हो, करने के पश्चात् विद्या

परिषद् आवेदनपत्र या उसके किसी भाग को मंजूर या नामंजूर करेगी। जहाँ आवेदन या उसका कोई भाग मंजूर किया जाता है वहां विद्या परिषद् शिक्षा के उन विषयों और पाठ्यक्रमों को विनिर्दिष्ट करेगी, जिनके संबंध में उस संस्था को मान्यता दी गयी हैं ओर प्रबंध

बोर्ड के उसकी अगली उत्तरवर्ती बैठक में रखने के लिए इस आशय की एक रिपोर्ट तैयार करेगी। जहां आवेदन या उसका कोई भाग नामंजूर किया जाता है वहाँ ऐसी नामंजूरी के आधार कथित किये जायेंगे।

38 संस्थाओं का अनुमोदन- (1) विद्या परिषद् को एक एकल अर्हित अध्यापक के मार्गदर्शन के अधीन चिकित्सा की भारतीय पद्धति में विशेषज्ञीय अध्ययन, प्रयोगशाला कार्य, इन्टर्नशिप, अनुसंधान या शैक्षणिक कार्य के लिए किसी संस्था को अनुमोदित संस्था के रूप में अनुमोदित करने की शक्ति होगी।

(2) संस्था, जो ऐसे अनुमोदन प्राप्त करने की इच्छुक हो कुलसचिव को एक आवेदन पत्र भेजेगी और आवेदन-पत्र में निम्नलिखित मामलों के संबंध में पूर्ण जानकारी देगी, अर्थात् :-

(क) अध्यापक का नाम, अर्हताएँ, अनुभव और अनुसंधान कार्य जिसके अधीन अनुमोदित कार्य किया जाना है;

(ख) कार्य की प्रकृति या विषय जिसके लिए कार्य किया जाना प्रस्तावित है;

(ग) वास-सुविधा, उपस्कर, पुस्तकालय सुविधा और विद्यार्थियों की संख्या जिनके लिए उपबन्ध किया गया है या किया जाना प्रस्तावित है:

(घ) उद्गृहीत या उद्गृहीत किये जाने के लिए प्रस्तावित फीस और भवन और उपस्कर पर पूँजीगत व्यय और संस्था के निरंतर अनुरक्षण और उसके प्रभावी कामकाज, के लिए किये गये वित्तीय उपबंध।

(3) विद्या परिषद् आवेदन पत्र पर विचार करने से पूर्व, कोई और जानकारी, जो वह आवश्यक समझे, माँग सकेगी।

(4) यदि विद्या परिषद् आवेदन पत्र पर विचार करने का विनिश्चय करती है तो वह सक्षम व्यक्ति या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा स्थानीय जाँच का निर्देश दे सकेगी। ऐसी स्थानीय जाँच के परिणामस्वरूप तैयार की गयी रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और ऐसी और जाँच, जो उसे आवश्यक प्रतीत हो, करने के पश्चात् विद्या परिषद् आवेदन-पत्र या उसके किसी भाग को मंजूर या नामंजूर करेगी। जहाँ आवेदन-पत्र या उसका कोई भाग मंजूर किया जाता है वहां विद्या परिषद् शिक्षा के उन विषयों और पाठ्यक्रमों को विनिर्दिष्ट

करेगी जिनके संबंध में उस संस्था को अनुमोदित किया गया है, और प्रबंध बोर्ड की उसकी अगली उत्तरावर्ती बैठक में रखने के लिए इस आशय की एक रिपोर्ट तैयार करेगी। जहाँ आवेदन-पत्र या उसका कोई भाग नामंजूर किया जाता है वहां ऐसी नामंजूरी के आधार वर्णित किये जायेंगे।

39. महाविद्यालयों का निरीक्षण और रिपोर्टें - (1) प्रत्येक संबद्ध महाविद्यालय, मान्यताप्राप्त संस्था और अनुमोदित संस्था ऐसी रिपोर्टें, विवरणियाँ और अन्य जानकारी देगा जिनकी विद्या परिषद् ऐसे महाविद्यालय या संस्था की दक्षता को आंकने में उसे समर्थ बनाने के लिए, अपेक्षा करे।

(2) विद्या परिषद् प्रत्येक ऐसे महाविद्यालय या संस्था का उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत एक या अधिक सक्षम व्यक्तियों द्वारा समय-समय पर निरीक्षण करायेंगी।

(3) विद्या परिषद् इस प्रकार निरीक्षित किसी महाविद्यालय या संस्था से, विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर-भीतर ऐसी कार्यवाई, जो उसे धारा 35 की उप-धारा (1), धारा 37 की उप-धारा (2) या, यथास्थिति, धारा 38 की उप-धारा (2) में निर्दिष्ट किसी मामले के संबंध में आवश्यक प्रतीत हो, करने की अपेक्षा कर सकेगी।

40. सम्बद्धता का प्रत्याहरण - (1) महाविद्यालय को सम्बद्धता द्वारा प्रदत्त ऐसे अधिकार, यदि महाविद्यालय धारा 35 की उप-धारा (1) के किसी उपबन्ध का पालन करने में असफल रहता है या महाविद्यालय उससे संबद्धता की किसी शर्त का अनुपालन करने में असफल रहता है या महाविद्यालय ऐसी रीति से संचालित होता है जो शिक्षा के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली है, पूर्णतः या भागतः प्रत्याहत किये जा सकेंगे या उपांतरित किये जा सकेंगे।

(2) ऐसे अधिकारों के प्रत्याहरण या उपांतरण के लिए प्रस्ताव केवल विद्या परिषद् में आरंभ किया जायेगा। विद्या परिषद् का ऐसा सदस्य, जो ऐसा प्रस्ताव करने का आशय रखता है उसकी सूचना देगा और वे आधार लिखित रूप में कथित करेगा जिन पर ऐसा प्रस्ताव किया गया है।

(3) उक्त प्रस्ताव पर विचार करने से पूर्व विद्या परिषद् संबद्ध महाविद्यालय के प्राचार्य को ऐसी सूचना सहित कि महाविद्यालय की और से ऐसी सूचना में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर-भीतर लिखित रूप में प्रस्तुत किसी अभ्यावेदन पर विद्या परिषद् द्वारा विचार किया जायेगा, सूचना की एक प्रति और उप धारा (2) में उल्लिखित लिखित कथन भेजेगी;

परन्तु यह कि इस प्रकार विनिर्दिष्ट कालावधि, यदि आवश्यक हो, विद्या परिषद् द्वारा बढ़ायी जा सकेगी ;

(4) अभ्यावेदन की प्राप्ति या उप-धारा (3) में निर्दिष्ट कालावधि की समाप्ति पर विद्या परिषद् प्रस्ताव सूचना, कथन और अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् और सक्षम व्यक्ति या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा ऐसे निरीक्षण, और ऐसी और जांच जो उसे आवश्यक प्रतीत हो, के पश्चात् प्रबंध बोर्ड को एक रिपोर्ट देगी।

(5) उप-धारा (4) के अधीन रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रबंध बोर्ड ऐसी और जाँच, यदि कोई हो, जो उसे आवश्यक प्रतीत हो, करने के पश्चात् मामले मे अपनी राय अभिलिखित करेगा,

परन्तु संबद्धता के प्रत्याहरण की सिफारिश करने वाला प्रबंध बोर्ड का कोई संकल्प तब तक पारित हुआ नहीं समझा जायेगा जब तक कि ऐसे संकल्प को प्रबंध बोर्ड की बैठक में उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई बहुमत का समर्थन नहीं मिला हो, ऐसा बहुमत प्रबंध बोर्ड के सदस्यों के आधे से कम नहीं होगा।

(6) कुलसचिव प्रबंध बोर्ड और विद्या परिषद् के उससे संबंधित प्रस्ताव और सभी कार्यवाहियां, यदि कोई हों, राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा जो ऐसी और जाँच, यदि कोई हो, जो उसे आवश्यक प्रतीत हो, करने के पश्चात् ऐसा आदेश करेगी जो उसे उचित प्रतीत हो और उससे प्रबंध बोर्ड को संसूचित करेगी।

(7) जहाँ उप धारा (6) के अधीन किये गये आदेश द्वारा संबद्धता द्वारा प्रदत्त अधिकार पूर्णतः या भागतः प्रत्याहत कर लिये गये हैं या उपांतरित किये गये हैं, वहां ऐसे प्रत्याहरण या उपान्तरण के आधार आदेश में कथित किये जायेंगे।

41. मान्यता या अनुमोदन का प्रत्याहरण – (1) किसी संस्था को मान्यता या अनुमोदन द्वारा प्रदत्त अधिकार, विद्या परिषद् द्वारा, यदि संस्था उसकी मान्यता या अनुमोदन की किसी शर्त का अनुपालन करने में असफल हो गयी है या उसे समनुदेशित कार्य का संचालन ऐसी रीति से होता है जो शिक्षा के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली है या विश्वविद्यालय द्वारा मान्यताप्राप्त अध्यापक संस्था को छोड़ता है, प्रत्याहत या किसी कालावधि के लिए निलंबित किये जा सकेंगे।

(2) किसी भी मान्यता प्राप्त या अनुमोदित संस्था के बारे में उप धारा (1) के अधीन कोई आदेश करने से पूर्व विद्या परिषद् उस संस्था से लिखित सूचना द्वारा, ऐसी सूचना

की प्राप्ति से एक मास के भीतर-भीतर कारण दर्शित करने की अपेक्षा करेगी कि क्यों न ऐसा आदेश कर दिया जाये। कारण दर्शित करने के लिए दी गयी ऐसी कालावधि, यदि आवश्यक हो, विद्या परिषद् द्वारा बढ़ायी जा सकेगी।

(3) सूचना के उत्तर में उस संस्था द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, की प्राप्ति पर और जहाँ ऐसा उत्तर प्राप्त न हुआ हो, उप-धारा (2) में निर्दिष्ट कालावधि की समाप्ति पर, विद्या परिषद्, ऐसी जाँच, यदि कोई हो, जो उसे आवश्यक प्रतीत हो, करने के पश्चात् विनिश्चय करेगी कि क्या मान्यता या अनुमोदन प्रत्याहत कर लिया जाये, या यथास्थिति, निलंबित कर दिया जाये और तदनुसार आदेश करेगी।

अध्याय 7
स्नातकोत्तर अध्यापन और अनुसंधान केन्द्र

42. स्नातकोत्तर अध्यापन – (1) समस्त स्नातकोत्तर शिक्षण, अध्यापन, अनुसंधान और प्रशिक्षण ऐसे विषयों में जो परिनियमों में विहित किये जायें, विश्वविद्यालय या ऐसे सम्बद्ध महाविद्यालयों या संस्थाओं द्वारा संचालित किये जायेंगे।

(2) सभी स्नातकोत्तर विभाग और अनुसंधान केन्द्र सामान्यतया विश्वविद्यालय के मुख्यालय पर स्थित होंगे। तथापि विश्वविद्यालय ऐसे किन्हीं विभागों या केन्द्रों को उसके मुख्यालय से बाहर के स्थान या स्थानों पर स्थापित कर सकेगा।

(3) विश्वविद्यालय ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो परिनियमों और आर्डिनेन्सों द्वारा विहित किये जाये, विश्वविद्यालय केन्द्रों को विश्वविद्यालय के मुख्यालय से इतर स्थानों पर भी बना सकेगा।

अध्याय 8
निधि और वित्त

43. विश्वविद्यालय निधि – (1) विश्वविद्यालय एक निधि स्थापित करेगा जिसको विश्वविद्यालय निधि कहा जायेगा।

(2) निम्नलिखित विश्वविद्यालय निधि के भागरूप होंगे या उसमें संदत्त किये जायेंगे :

(क) राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार, या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कोई भी अभिदाय या अनुदान;

(ख) विश्वविद्यालय की, फीस, और प्रभारों से आय को सम्मिलित करते हुए समस्त स्त्रोतों से, आय;

(ग) वसीयत, दान, विन्यास और अन्य अनुदान, यदि कोई हो।

(3) विश्वविद्यालय निधि, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) में यथा परिभाषित किसी अनुसूचित बैंक या भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 23) के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक या ऐसे बैंक जो राज्य सरकार द्वारा प्रबंध बोर्ड की सिफारिश पर अनुमोदित किया जाये, में रखी जायेगी।

44. वार्षिक लेखे और वित्तीय प्राक्कलन - (1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे वित्त और लेखा समिति के निर्देश के अधीन तैयार किये जायेंगे और प्रबंध बोर्ड को प्रस्तुत किये जायेंगे।

(2) प्रबंध बोर्ड, लेखे संपरीक्षित हो जाने के पश्चात् संपरीक्षा रिपोर्ट को प्रति के साथ इसकी एक प्रति राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा।

(3) वित्त और लेखा समिति ऐसी तारीख से पूर्व जो परिनियमों द्वारा निहित की जाये आगामी वर्ष के लिए वित्तीय प्राक्कलन भी तैयार करेगी।

(4) प्रबंध बोर्ड द्वारा उसकी वार्षिक बैठक में वार्षिक लेखाओं और वित्तीय प्राक्कलनों पर विचार किया जायेगा और प्रबंध बोर्ड उनके संदर्भ में संकल्प पारित करना और इसे वित्त और लेखा समिति को संसूचित करेगा, जो उन पर विचार करेगी और उसमें ऐसी कार्यवाई करेगी जो वह उचित समझे और अंततः लेखे और वित्तीय प्राक्कलनों को अंगीकृत करेगी। वित्त और लेखा समिति, प्रबंध बोर्ड को, उसकी आगामी बैठक में उसके द्वारा की गयी कार्रवाई या उसके द्वारा कोई भी कार्रवाई न करने के कारणों की सूचना देगी।

45. वार्षिक रिपोर्ट- विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट प्रबंध बोर्ड के निर्देशों के अधीन तैयार की जायेगी और कुलाधिपति और राज्य सरकार को प्रस्तुत की जायेगी।

अध्याय 9
प्रकीर्ण

46. छात्रों का नामांकन - किसी भी छात्र को विश्वविद्यालय के छात्र के रूप में तब तक नामांकित नहीं किया जायेगा जब तक कि वह परिनियमों द्वारा यथा विहित अर्हताएं नहीं रखता है।

47. छात्रों का निवास - विश्वविद्यालय का प्रत्येक छात्र छात्रावास में, या ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जो आर्डिनेन्सों द्वारा विहित की जायें, निवास करेगा।

48. सम्मानिक उपाधि - यदि विद्या परिषद् के दो-तिहाई से अन्यून सदस्य यह सिफारिश करें कि किसी व्यक्ति को कोई सम्मानिक उपाधि या अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधि इस आधार पर प्रदान की जाये कि वह उनकी राय में, विशिष्ट स्थिति और हैसियत के कारण, ऐसी उपाधि या विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधि प्राप्त करने के लिए उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति है और जहाँ उनकी सिफारिश को, प्रबन्ध बोर्ड की किसी बैठक में उपस्थित प्रबन्ध बोर्ड के दो-तिहाई से अन्यून सदस्यों के बहुमत का, जिसमें प्रबन्ध बोर्ड के कम से कम आधे सदस्य समाविष्ट हों, समर्थन प्राप्त हो और कुलाधिपति द्वारा उस सिफारिश की पुष्टि कर दी जाती है तो प्रबन्ध बोर्ड ऐसे व्यक्ति को उससे कोई भी परीक्षा देने की अपेक्षा किये बिना इस प्रकार सिफारिश की गयी सम्मानिक उपाधि या अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधि प्रदान कर सकेगा।

49. उपाधि या डिप्लोमा का वापस लिया जाना- (1) कुलाधिपति, विद्या परिषद् और प्रबन्ध बोर्ड की सिफारिश पर, जिसे प्रत्येक निकाय के उसकी बैठक में उपस्थित दो-तिहाई से अन्यून सदस्यों के बहुमत का, जिसमें प्रत्येक निकाय के कम से कम आधे सदस्य समाविष्ट हों, समर्थन प्राप्त हो, किसी व्यक्ति से कोई उपाधि या डिप्लोमा वापस ले सकेगा, यदि उसे किसी न्यायालय द्वारा किसी ऐसे अपराध का, जो विद्या परिषद् और प्रबन्ध बोर्ड की राय में नैतिक अधमता से अन्तर्वलित गम्भीर अपराध हो, दोषसिद्ध ठहराया गया है।

(2) इस धारा के अधीन कोई भी कार्रवाई तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि सम्बन्धित व्यक्ति की परिनियमों द्वारा विहित रीति से अपनी प्रतिरक्षा में सुनवाई का अवसर नहीं दे दिया जाता है।

50. समितियाँ- विश्वविद्यालय के समस्त प्राधिकारियों को समितियाँ नियुक्त करने की शक्ति होगी। ऐसी समितियों ऐसे व्यक्तियों को सम्मिलित कर सकेंगी जो समिति को नियुक्त करने वाले प्राधिकारी के सदस्य नहीं है।

51 पेंशन, बीमा और भविष्य निधि- विश्वविद्यालय अपने अधिकारियों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के ऐसे विषयों जैसे बीमा, पेंशन, भविष्य निधि में फायदे या ऐसे अन्य फायदों के लिए ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जो परिनियमों द्वारा विहित की जायें ऐसे उपबन्ध करेगा, जो वह उचित समझे।

52. भविष्य निधि का सरकारी खजाने में जमा किया जाना - (1) जहाँ विश्वविद्यालय ने अपने अधिकारियों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के लिए धारा 51 के अधीन भविष्य निधि स्थापित की है वहां ऐसी निधि, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, ऐसे निदेर्शों, जो राज्य सरकार समय-समय पर लिखित आदेश द्वारा दे, के अनुसार राज्य के सरकारी खजाने में जमा की जायेगी और उस पर,

(क) निधि का अभिदाता अपने भविष्य निधि खाते में के अतिशेष पर उसी दर से ब्याज का हकदार होगा जिससे राज्य का सरकारी कर्मचारी अपने भविष्य निधि खाते में अतिशेष पर तत्समय हकदार है; और

(ख) भविष्य निधि में से प्रत्याहरण की परिसीमाओं से सम्बन्धित तत्समय प्रवृत्त नियम अभिदाता पर, जहाँ तक हो सके, लागू होंगे जैसे सरकारी कर्मचारी पर लागू होते है।

(2) इस धारा में की कोई भी बात विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित ऐसी किसी भविष्य निधि पर लागू नहीं होगी जिस पर कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 19) लागू होता है।

53 पद का रिक्त किया जाना - (1) विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी या निकाय का कोई सदस्य कुलसचिव के माध्यम से, कुलपति को सम्बोधित पत्र द्वारा अपने पद का त्याग कर सकेगा और त्यागपत्र, कुलपति द्वारा उसकी स्वीकृति पर या कुलपति द्वारा पत्र प्राप्त किये जाने की तारीख से तीस दिन की समाप्ति पर, जो भी पूर्वतर हो, प्रभावी होगा।

(2) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय का कोई भी सदस्य कि न्यायालय द्वारा उसे ऐसे अपराध का दोषसिद्ध ठहराये जाने पर, जिसमें प्रबन्ध बोर्ड की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित है, सदस्य नहीं रहेगा।

54. आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना - जब विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के (पदेन सदस्य से भिन्न) किसी सदस्य के पद में ऐसे सदस्य की पदावधि की समाप्ति के पूर्व, कोई रिक्ति होती है तो वह रिक्ति सदस्य के नामनिर्देशन नियुक्ति या, यथास्थिति, सहयोजन द्वारा यथाशीघ्र सुविधानुसार भरी जायेगी जो तब तक धारित करेगा जब तक कि वह सदस्य, जिसके स्थान पर उसे नाम निर्देशित, नियुक्त सहयोजित किया गया है पद धारित करता यदि रिक्ति नहीं होती।

55. कार्यवाहियों का रिक्तियों के कारण अविधिमान्य नहीं होना- विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी या अन्य निकाय का कोई भी कार्य या कार्यवाही केवल उसकी सदस्यता में किसी रिक्ति के कारण ही अविधिमान्य नहीं होगी।

56. संकाय द्वारा मान्यताप्राप्त संस्थाओं में पाठ्यक्रमों का पूर्ण किया जाना - इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये परिनियमों और आर्डिनेन्सों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, संकाय की परीक्षाओं के लिए छात्रों को प्रशिक्षण देने की हकदार, संस्था के किसी भी छात्र को, जो इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख के तुरन्त पूर्व अध्ययन कर रहा था या संकाय की किसी परीक्षा के लिए पात्र था, उसकी तैयारी के लिए उसका पाठ्यक्रम पूर्ण करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा और विश्वविद्यालय, संकाय के पाठ्यक्रम के अनुसार ऐसे छात्रों के शिक्षण, अध्यापन, प्रशिक्षण और परीक्षा के लिए, ऐसी कालावधि के लिए और ऐसी रीति से उपबन्ध करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित की जायें।

57. प्रथम कुलपति की नियुक्ति - धारा 24 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, राज्य सरकार द्वारा, इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् यथा साध्य शीघ्रता से, तीन वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए, और ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जिन्हें राज्य सरकार उचित समझे, प्रथम कुलपति की नियुक्ति की जायेगी।

58. विश्वविद्यालय, प्राधिकारी या निकाय के गठन के बारे में विवाद- यदि, इस अधिनियम के या किसी परिनियम, आर्डिनेंस या नियम के किसी उपबन्ध के निर्वचन के सम्बन्ध में या इस बारे में कोई भी प्रश्न उद्भूत हो कि आया कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्य के रूप में सम्यक् रूप से नियुक्त किया गया है, या उसका सदस्य होने का हकदार है या सदस्य नहीं रह गया है तो वह मामला, प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किसी भी व्यक्ति या निकाय की याचिका पर या स्वप्रेरणा से, कुलपति द्वारा कुलाधिपति को इसी प्रकार निर्दिष्ट किया जा सकेगा और यदि प्रबन्ध बोर्ड के सदस्य ऐसी अपेक्षा करें तो कुलाधिपति को इसी प्रकार निर्दिष्ट किया जायेगा। कुलाधिपति ऐसी सलाह लेने के पश्चात् जो वह उचित समझे, प्रश्न का विनिश्चय करेगा और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

59. अधिकारियों और कर्मचारियों का लोक सेवक होना - विश्वविद्यालय का प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी भारतीय, दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 45) की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जायेगा।

स्पष्टीकरणः- इस धारा के प्रयोजनों के लिए ऐसे किसी भी व्यक्ति को, जिसे विश्वविद्यालय द्वारा किसी विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए या विश्वविद्यालय के किसी विनिर्दिष्ट कार्य के लिए नियुक्त किया गया है या जो किये गये किसी कार्य के लिए प्रतिकारात्मक भत्ते या फीस के रूप में विश्वविद्यालय निधि से कोई पारिश्रमिक प्राप्त करता है, जब वह ऐसी नियुक्ति या कार्य से संसक्त कर्तव्यों और कृत्यों का पालन कर रहा हो और उनके पालन से सम्बन्धित समस्त मामलों के सम्बन्ध में, विश्वविद्यालय का अधिकारी या कर्मचारी समझा जायेगा।

60. विधिक कार्यवाहियाँ – विश्वविद्यालय के द्वारा या उसके विरूद्ध समस्त वाद और अन्य विधिक कार्यवाहियाँ विश्वविद्यालय की ओर से कुलसचिव द्वारा, या कुलपति द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट रूप से नामनिर्दिशित किसी अन्य अधिकारी द्वारा संस्थित, अभियोजित या प्रतिरक्षित की जायेंगी।

61. कठिनाइयों के निराकरण की शक्ति – यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों से संगत ऐसा आदेश कर सकेगी जो उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो :

परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

62. परिनियमों, आर्डिनेन्सों और नियमों का राजपत्र में प्रकाशित किया जाना और राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष रखा जाना – (1) विश्वविद्यालय का समय-समय पर बनाया गया प्रत्येक परिनियम, आर्डिनेन्सों और नियम राजपत्र में प्रकाशित किया जायेगा।

(2) इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात्, संशोधन द्वारा या अन्यथा बनाया गया विश्वविद्यालय का प्रत्येक परिनियम, आर्डिनेन्स और नियम उसके बनाये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो, कुल चौदह दिन की ऐसी कालावधि के लिए रखा जायेगा जो एक सत्र में या दो या उससे अधिक उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी और यदि पूर्वोक्त सत्र या सत्रों के ठीक पश्चात्वर्ती सत्र की समाप्ति के पूर्व राज्य विधान-मण्डल का सदन परिनियम, आर्डिनेन्स और नियम में कोई भी उपांतरण करने के लिए सहमत होता है या सदन इस बात पर सहमत होता है कि परिनियम, आर्डिनेन्स और नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् परिनियम, आर्डिनेन्स, और नियम केवल ऐसे उपांतरित रूप में प्रभावी होगा या, यथास्थिति, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा तथापि, ऐसा कोई भी उपान्तरण या बातिलकरण उस परिनियम, आर्डिनेन्स और नियम के अधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

जी.एस. होरा,

शासन सचिव।